नई पेंशन योजना से संबंधित शासनादेशों का संकलन

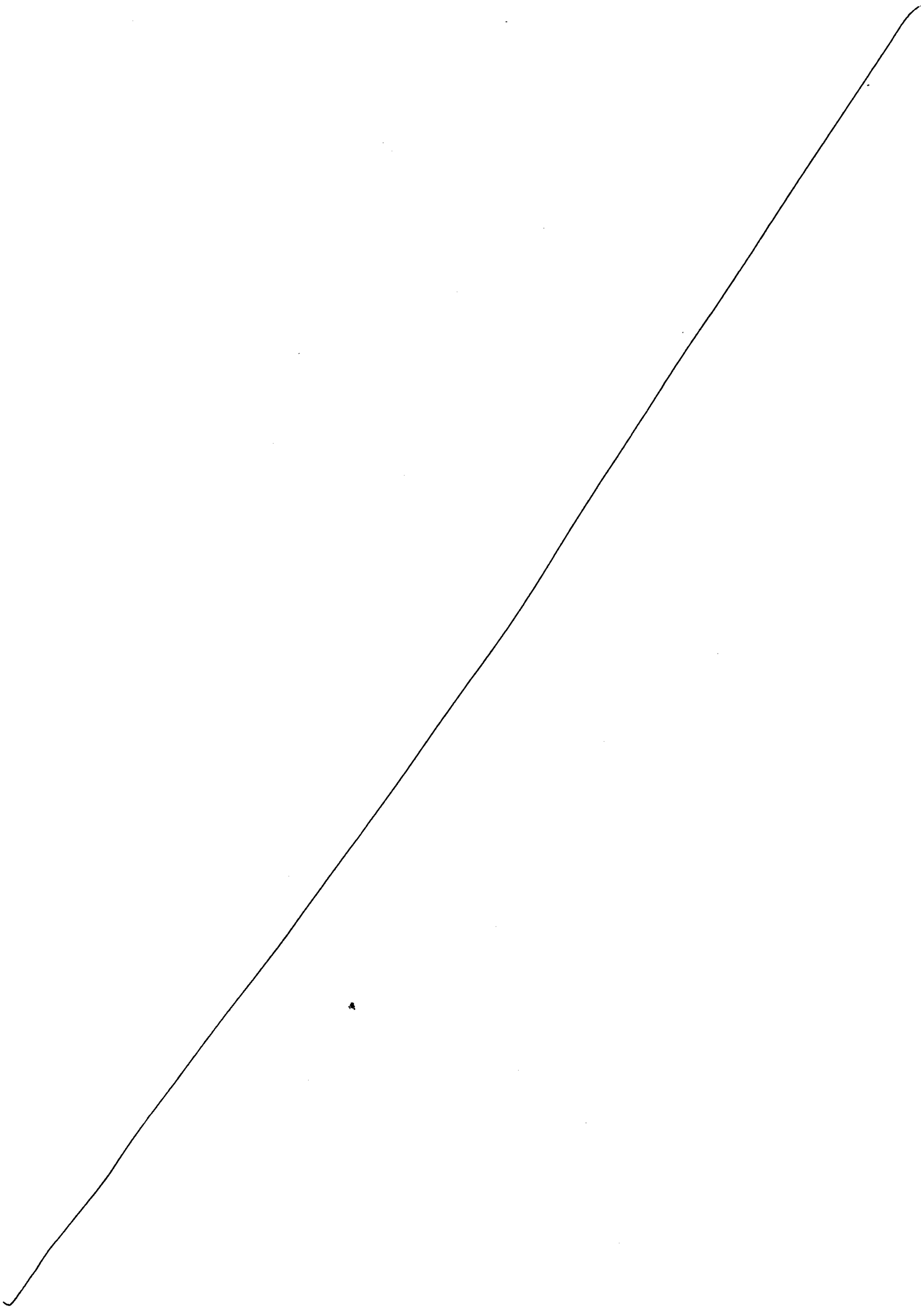

Retirement

उत्तरांचल सरकार
वित्त (सामान्य नियम–वेतन आयोग) अनुभाग–7
संख्याः 19/xxvii(7)/2005
देहरादून : दिनांकः 25 अक्टूबर,, 2005

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रुल्स, 1961को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) (संशोधन) रुल्स, 2005

1— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (उत्तरांचल)(संशोधन) रुल्स, 2005 कहीं जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 01 अक्टूबर,2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2— उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रुल्स, 1961 में, नियम 2 में, वर्तमान उपनियम(2) के पश्चात निम्नलिखित नया उपनियम बढा दिया जायेगा, अर्थातः— नियम 2 का संशोधन

"(3) यह नियमावली राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में पेंशनी स्थापन सेवाओं और पदों पर, चाहे वे अस्थायी हों या स्थायी हों, 01 अक्टूबर ,2005 को या उसके पश्चात प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।"

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव

etirement

In pursuance of the provisions of clause (3)of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 19/xxvii(7)/2005,dated October 25, 2005.

No. 19/ xxvii(7)/2005
Dated: Dehradun: October 25 , 2005

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Retirement Benefit Rules (Uttaranchal),1961.

THE UTTAR PRADESH RETIREMENT BENEFITS (UTTARANCHAL)(AMENDMENT) RULES,2005

Short title and commencement

1.(1)These rules shall be called the Uttar Pradesh Retirement Benefits (Uttaranchal) (Amendment) Rules,2005.

(2) They shall and be deemed to have come into force with effect from October 01,2005.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Retirement Benifits Rules (Uttaranchal),1961 in rule 2,after existing sub-rule(2) the following new sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) These rules shall not apply to employees entering services and

No- 19 (1)/XXVII(7)/2005 dated above.

Copy: For information and necessary action to following:-

1- All Principal Secretaries/Secretaries, Uttaranchal Govt.
2- All Head of Departments/Head of the Offices, Uttaranchal.
3- Accountant General, Uttaranchal, Dehradun.
4- Ragistrar General, Hon'able High Court of Uttaranchal, Nainital.
5- Resident Commissnor, Uttaranchal, New Delhi.
6- Secretary, Vidhansabha, Uttaranchal.
7- Secretary, To Governor Uttaranchal.
8- All Sections, Uttaranchal Secretariat, Dehradun..
9- All Treasuary Officers, Uttaranchal.
10- Director, Administrative Training Institute, Nainital.
11- Deputy Director, Government Press, Roorkee for publication in State Gazette.
12- Senior Technical Director, N.I.C Uttaranchal Unit, Dehradun.

By Order,

(T.N.Singh)
Additional Secretary

Retirement

posts on or after October 01,2005 in connection with the affairs of the state borne on pensionable establishment, whether temporary or permanent."

Indu Kumar Pande
Principal Secretary

उत्तरांचल शासन
वित्त (सामान्य नियम–वेतन आयोग) अनुभाग–7
संख्या 20 / XXV I I(7) / 2005
देहरादूनः दिनांकः 25 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) (उत्तरांचल) नियमावली, 2005

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) (उत्तरांचल) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह 1 अक्टूबर, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

नियम 4 का प्रतिस्थापन

2– उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि (उत्तरांचल) नियमावली, 1985 में नीचे दिये गये वर्तमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतत्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4– संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों से भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी सरकारी सेवक, जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे।	4– संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों से भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी सरकारी सेवक, जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे: परन्तु कोई सरकारी सेवक जो 1 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात सेवा

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	एततद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	में प्रवेश करता है, निधि मे अभिदान नहीं करेगा।
टेप्पणी–1: शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा।	टिप्पणी–1: शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा।
टेप्पणी–2: ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक, जिसके अन्तर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित या अस्थायी रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , निधि में अभिदान करेंगे।	टिप्पणी–2: ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक, (जिसके अन्तर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित या अस्थायी रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , निधि में अभिदान करेंगे।
टेप्पणी–3: जैसे ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाय, वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे दें।	टिप्पणी–3: जैसे ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाय, वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे दें।

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या– 20(1) /XXVII(7)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
5. स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधानसभा उत्तरांचल।
7. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल, देहरादून।
8. उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
10. निदेशक, उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

In pursuance, of the provisions of clause (3) of Article 348 of ie Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of ie following English translation of Notification No. 20 /XXVII(7)/2005 ated October 25, 2005.

No. 20 /XXVII(7)/2005
Dated: Dehradun:October 25 , 2005

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 f the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with view to amending the Uttar Pradesh General Provident Fund (Uttaranchal) ules, 1985.

THE UTTAR PRADESH GENERAL PROVIDENT FUND (AMENDMENT) (UTTARANCHAL) RULES, 2005.

. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh General Provident Fund (Amendment) (Uttaranchal) Rules, 2005. **Short title ar commenceme**

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from October 1 , 2005.

2- In the Uttar Pradesh General Provident Fund Rules (Uttaranchal) , 1985 for exiting rule 4 set out in column-1 below, the rule as set out in olumn-2 shall be substituted, namely:- **Substitutio of rule 4**

<u>COLUMN-1</u> **Ex ting rule**	<u>COLUMN-2</u> **Rule as hereby substituted**
Conditions of eligibility- All nanent Governm nt servants and temporary Govern ent servants, r than those ap inted on tract and re-employed p sioners, se services are likely to c tinue more than a year shall subs ibe he fund from the date of joinin service.	4. **Conditions of eligibility-** All permanent Government servants and all temporary Government servants, other than those appointed on contract and re-employed pensioners, whose services are likely to continue for more than a year shall subscribe to the fund from the date of joining the service: Provided that no government serv nt entering service on or after Octob 1 , 2005 shall subscribe to the fund.

COLUMN-1 Existing rule	COLUMN-2 Rule as hereby substituted
TE-1- Apprentices and bationers shall be treated as porary Government servants for purpose of this rule.	**NOTE-1-** Apprentices and probationers shall be treated as temporary Government servants for the purpose of this rule.
TE-2- Temporary Government ants(including Apprentices and bationers) who have been ointed against regular or porary vacancies and are likely to tinue for more than a year shall scribe to the Fund from the date oining the service.	**NOTE-2-** Temporary Government servants(including Apprentices and probationers) who have been appointed against regular or temporary vacancies and are likely to continue for more than a year shall subscribe to the Fund from the date of joining the service.
TE-3- Executive authorities uld inform the Account Officer as n as a Government servant omes liable to subscribe to the d.	**NOTE-3-** Executive authorities should inform the Account Officer as soon as a Government servant becomes liable to subscribe to the fund.

Indu Kumar Pande
Principle Secretary

No- 20 (1)/XXVII(7)/2005 dated above.

Copy: For information and necessary action to following:-

1- All Principal Secretaries/Secretaries, Uttaranchal Govt.
2- All Head of Departments/Head of the Offices, Uttaranchal.
3- Accountant General, Uttaranchal, Dehradun.
4- Ragistrar General, Hon'able High Court of Uttaranchal, Nainital.
5- Resident Commissnor, Uttaranchal, New Delhi.
6- Secretary, Vidhansabha, Uttaranchal.
7- Secretary, To Governor Uttaranchal.
8- All Sections, Uttaranchal Secretariat, Dehradun..
9- All Treasuary Officers, Uttaranchal.
10- Director, Administrative Training Institute, Nainital.
11- Deputy Director, Government Press, Roorkee for publication in State Gazette.
12- Senior Technical Director, N.I.C Uttaranchal Unit, Dehradun.

By Order,

(T.N.Singh)
Additional Secretary

Government of Uttaranchal
Finance (General Rules – Pay Commission) Section- 7
No : 21 /XXVII(7)C.P.S/2005
Dated : Dehradun, October 25, 2005

Notification

The State Government, in consideration of its long-term fiscal interest and following broadly the pattern adopted by the Central Government, has approved the following proposal of introducing a new "**defined contribution pension system**" in place of the existing "**defined benefit pension scheme**", for new entrants to the service of the State Government and all state-controlled autonomous institutions and State-aided private educational institutions where the existing pension scheme is patterned on the scheme for Government employees and is funded by the consolidated fund of the State Government :-

(i) From Ist of October, 2005, the new defined contribution pension system would mandatorily apply to all new recruits to the service of the State Government and of all State-controlled autonomous/State aided private educational institutions referred to above. However, employees covered by the existing pension scheme whose service would be of less than ten years on Ist October, 2005 may also voluntarily opt for the new pension system in place of the existing pension scheme.

(ii) Under the new defined contribution pension system, the employee would make a monthly contribution equal to 10 percent of the salary, dearness pay and dearness allowance. A matching employer's contribution would be made by the State Government or by the concerned autonomous institution/private educational institution. However, the Sate Government would provide grant to the concerned autonomous institution/private educational institution for making employer's contribution until the institution is in a position to make the contribution itself. The contribution and investment returns would be deposited in an account to be known as pension **tier I account**. No withdrawal would be allowed from this account during the service period. The existing provisions of defined benefit pension and GPF would not be available to the new recruits covered by the new defined contribution pension system.

(iii) Since new recruits would not be able to subscribe to GPF, they may also have a voluntary tier-II account, in addition to the pension tier-I account. However, employer would make no contribution to tier-II account. The assets in tier-II account would be invested and

managed through exactly the same procedure as for pension tier-I account. However, the employee would be free to withdraw part or all of the **"Tier- 2"** of his money anytime.

(iv) Employee can normally exit tier-I of the pension system at the time of retirement. At exit the employee would be mandatorily required to invest 40 percent of pension wealth to purchase an annuity from a recognized insurance company so as to provide for pension for the lifetime of the employee and his dependent parents and his spouse at the time of retirement. The remaining pension wealth would, however, be received by the employee as a lump sum which he would be free to utilise in any manner. In case of employee exiting the pension tier-I before retirement, the mandatory annuitisation would be 80 percent of the pension wealth.

(v) There would be several pension fund managers who would offer mainly three categories of investment options. The pension fund managers and the record-keeper would jointly give out easily understood information about past performance so that the employee is able to make informed choices of the investment options.

2- Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules – 1961 & Uttar Pradesh General Provident Fund Rules- 1985 have been amended as per aforesaid provisions.

3- An employee recruited/appointed on or after Ist October- 2005, will fill up the Form –I (Annexure) in Hindi & English and submit to Head of Office/Drawing and Disbursing Officer (D.D.O). Inturn Head of Office/DDO will send the information of the such employees in Form-2(Annexure) to the concerned treasury and Director, Accounts & Entitlement (A&E). Director, A&E will prepare a data base based on Form- 1 and Form- 2 and submit the details to Central Record Keeping Agency (CRA) and Pension Fund Managers appointed by Govt. of India.

4- The Treasury/DDO will annex the details of pension contribution with pay bill on Form- 3 (Annexure) and latest by 5th day of each month, the Treasury will send the DDO wise Head of the Office wise information on Form – 3 to Director, A&E. Till the Govt. of India appoints Pension Fund Managers, the maintainance will be done by the Directorate, until the accounts are taken over by Pension Fund Managers, the balances of the Fund will earn interest on the same rate as applicable on General Provident Fund and will be paid by the State Government.

5- The employer's contribution in contributory pension scheme will be charged against object of expenditure 01- Pay, till separate object of expenditure is notified. The employer's 10% contribution will include the Basic Pay–Dearness Pay– Dearness Allowance. The amount of contribution will be booked under object 01- Pay in Input – 1 of the Integrated Pay and Account System as "Pay for Integrated Pension".

6- 10% Pension contribution of the employer's and employees towards Pension Fund will be accounted under head **8011 – Insurances & Pension Funds, 106 – Other Insurance & Pension Funds 05- Contributions to Pension Fund and unit of appropriation will be 33- Pension** by the concerned treasury. Director, A&E shall be the competent authority for the drawing and disbursing of the deposited amounts in the fund. After the appointment of Pension Fund Manager by the Govt. of India, the Director, A&E will remit the pension fund to the Fund Manager in accordance with established rules and procedures and will furnish the required information details to Pension Fund Regulation and Devlopment Authority (P.F.R.D.A), Central Record Keeping Agency (C.R.A.), State Government and other concerned.

7- The New Pension Scheme will come into force from 1st October, 2005.

Annexure : Prescribed form 1 to 3

Indu Kumar Pande
Principal Secretary

No- 21 (1)/XXVII(7)C.P.S/2005 dated above.

Copy: For information and necessary action to following:-

1- All Principal Secretaries/Secretaries, Uttaranchal Govt.
2- All Head of Departments/Head of the Offices, Uttaranchal.
3- Accountant General, Uttaranchal, Dehradun.
4- Ragistrar General, Hon'able High Court of Uttaranchal, Nainital.
5- Resident Commissnor, Uttaranchal, New Delhi.
6- Secretary, Vidhansabha, Uttaranchal.
7- Secretary, To Governor Uttaranchal.
8- All Sections, Uttaranchal Secretariat, Dehradun..
9. All Treasuary Officers, Uttaranchal.
10- Director, Administrative Training Institute, Nainital.
11- Deputy Director, Government Press, Roorkee for publication in State Gazette.
12- Senior Technical Director, N.I.C Uttaranchal Unit, Dehradun.

By Order,

(T.N.Singh)
Additional Secretary

(शासनादेश सं0– 21/XXVII(7)अं0पें0यो0/2005, दिनांक 25 अक्टूबर 2005 का संलग्नक)

प्रपत्र–1

(विवरण सरकारी सेवक द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में भरा जाय)

1– सरकारी सेवक का नाम (स्पष्ट अक्षरो में) :–...

2– पिता/पति/पत्नी का नाम :– ....

3– स्थाई पता :– ....

4– पत्र–व्यवहार का पता :– ....

5– पदनाम :–...

6– विभाग/संगठन का नाम :–...

7– वेतनमान :–...

8– जन्मतिथि :–...

9– सरकारी सेवा मे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि :–...

10– मूल वेतन :–...

11– पेंशन लेखे में संग्रहीत धनराशि हेतु नामांकन :–

क्रम सं0	नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम	आयु	कितने प्रतिशत अंश	सरकारी सेवक से सम्बन्ध

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर...

(शासनादेश सं0– 21/XXVII(7)अ0पे0यो0/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 का संलग्नक)

प्रपत्र–2

(कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कोषागार तथा निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को भेजा जाने वाला विवरण)

कार्यालयाध्यक्ष का नाम.....

डी0डी0ओ0 कोड नं0 .....

कार्यालय का पूरा पता.....

क्र0 सं0	सरकारी सेवक का नाम	पद नाम	मूल वेतन	जन्म तिथि	सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	नामांकन विवरण				पेंशन खाता संख्या
						नामित व्यक्ति	आयु	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	प्रतिशत अंश	

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी

के (मुहर सहित) हस्ताक्षर.....

(इस प्रपत्र के साथ, सभी सरकारी सेवकों द्वारा प्रथम बार भरा गया प्रपत्र–1 की एक–एक छायाप्रति भी संलग्न की जाय)।

(शासनादेश सं0–21/XXVII(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 का संलग्नक)

प्रपत्र–3

गागार/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंशदायी पेंशन हेतु वेतन देयक के साथ लगने वाला संलग्नक तथा गह निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को विलम्बतम 05 तारीख तक भेजा जाने वाला विवरण)

रण वितरण अधिकारी का पदनाम.....

डी0ओ0 कोड नं0 .....

गार का नाम .....

..... वर्ष .....

सरकारी सेवक का नाम	पदनाम	मूल वेतन (रूपये)	महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते का योग (रू0)	कर्मचारी का अंश (रूपये)	सरकार का अंश (रू)	टीयर–1 पेंशन फण्ड का योग (रू0)	टीयर–2 भविष्य निधि में अंश(रू0)	अभ्युक्ति

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी/कोषागार अधिकारी के (मुहर सहित) हस्ताक्षर.....

(शासनादेश सं0– 21/XXVII(7)अ0पें0यो0/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 का संलग्नक)

FORM- 1

(Details to be furnished by the Government servant)

. Name of the Govt. servant :
(in Block letters)

Name of Father/Husband/Wife :

Permanent address :

Postal address :

Designation :

Name of Ministry/Dept./Organisation :

Scale of Pay :

Date of Birth :

Date of Joining Govt. service :

.Basic Pay :

.Nominee for accumulations under the Pension Account :-

).	Name of nominee (s)	Age	Percentage of Share payable	Relationship with the Govt. servant

Signature of Government servant.....................

()

(शासनादेश सं0–21/XXVII(7)अ0पे0या0/2005, दिनांक 25 अक्टूबर,2005 का संलग्नक)

FORM-2

(Format in which information is required to be sent by
DDO to Director, Accounts & Entitlement)

Name of DDO &Code No. :

Name of Office & Address :

l. o	Name of the Govt servant	Designation	Basic Pay	Date of Birth	Date of joining service	Details of nominee(s) for the accumulations under Pensior Account			
						Name of nomi-nee(s)	Age	Relationship with Government servant	% o sh
	2	3	4	5	6	7	8	9	

Name of DDO:
Office seal

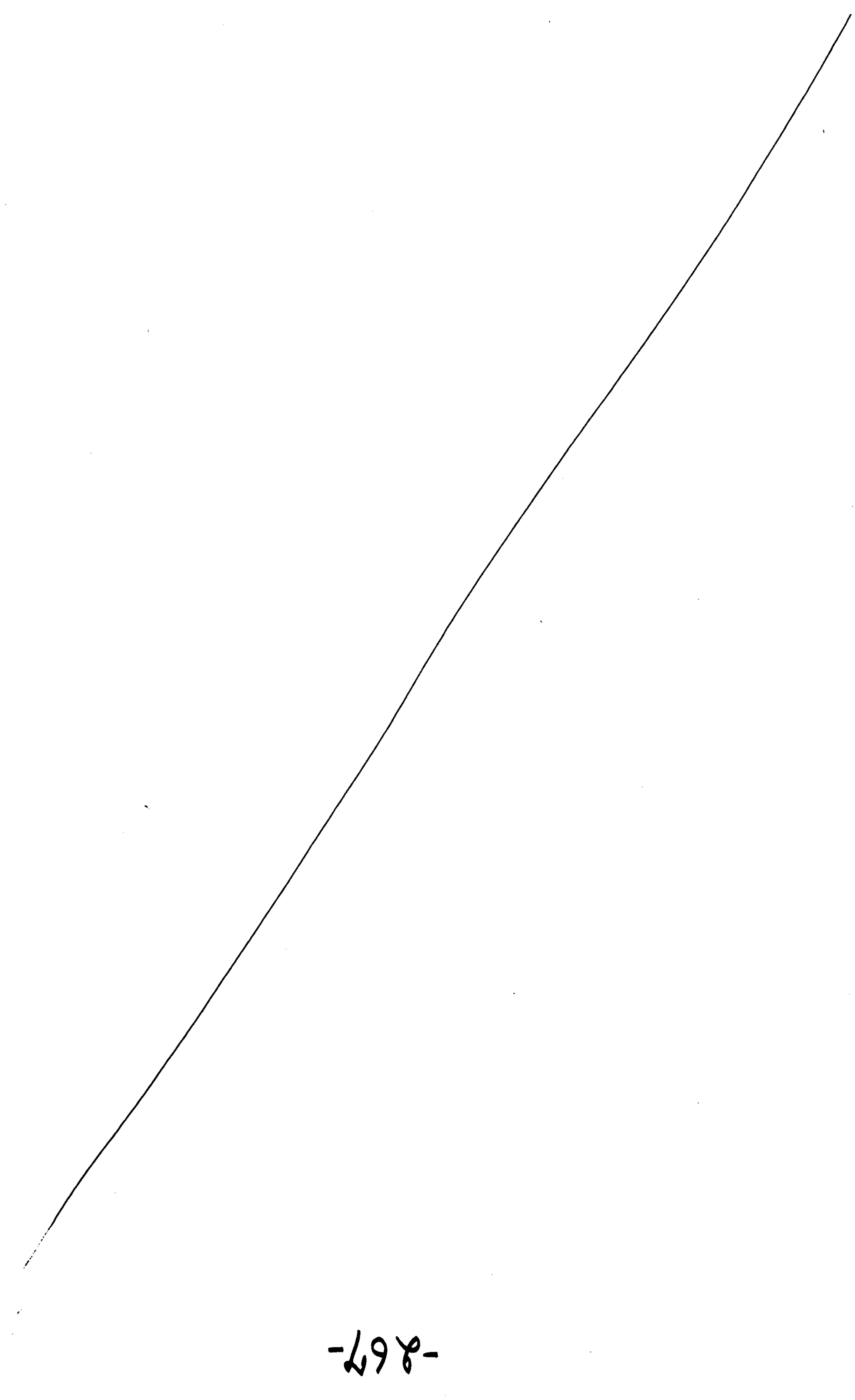

उत्तरांचल शासन

वित्त (सामान्य नियम–वेतन आयोग) अनुभाग–7

संख्या– 21 / XXVII(7)अ0पे0यो0 / 2005

देहरादून : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्य सरकार ने, अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई रीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित **"लाभ पेंशन योजना"** के स्थान पर नवपरिभाषित **"अंशदान पेंशन योजना"** लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है :–

(i) राज्य सरकारी सेवा में और ऊपर उल्लिखित राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 01 अक्टूबर, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवायें 01 अक्टूबर, 2005 को 10 वर्ष से कम की हो, भी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।

(ii) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत् के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्थाओं/निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए तब तक अनुदान दिया जायेगा जब तक ये संस्थायें ऐसा अंशदान करने हेतु स्वयं सक्षम न हो जायें। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा, जो **पेंशन टियर–1** खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकों, जो वर्तमान अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, उन्हें पूर्व से परिभाषित पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के उपबन्धों के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

(iii) चूँकि नये भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे, अतः वे पेंशन टियर–1 खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक **टियर–2** खाता भी रख सकते हैं, परन्तु सेवायोजक टियर–2 खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। टियर–2 खाते में आस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जो पेंशन टियर–1 खाते के लिए है। तथापि, कर्मचारी अपने

"टियर–2" खाते के धन के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर–1 को सामान्यतया छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करें और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत् का निवेश करें जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता–पिता तथा उसके विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एकमुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी भी रीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर--1 को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत् होगा।

(v) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से अपने विगत कार्य–कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे, जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सके।

2– उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल–1961 एवं उत्तर प्रदेश भविष्य निधि नियमावली–1985 के सुसंगत प्राविधान इस क्रम में संशोधित किये गये हैं।

3– दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके बाद नव–नियुक्त/भर्ती होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रपत्र–1 (संलग्न) पर वांछित विवरण, सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रपत्र–2 (संलग्न) पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त विवरण सम्बन्धित कोषागार एवं निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड़ (डालनवाला), देहरादून को भेजा जायेगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल द्वारा प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 के आधार पर कम्प्यूटर पर आधारित एक "डाटा बेस" तैयार किया जायेगा, जिसे भारत सरकार में केन्द्रीय अभिलेखपाल/Central Record Keeping Agency (CRA) एवं पेंशन निधि प्रबन्धक को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

4– कोषागार/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंशदायी पेंशन हेतु विवरण, प्रपत्र–3 (संलग्न) पर सूचना तैयार कर वेतन देयक (bill) के साथ संलग्न करके प्रेषित किया जायेगा जिसे प्रतिमाह की 05 तारीख तक कोषागार द्वारा इसी प्रपत्र पर आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्षवार संकलित सूचित निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को उपलब्ध कराया जायेगा। जब तक कि भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए पेंशन निधि

प्रबन्धक की नियुक्ति न कर दी जाय, इस प्रकार के लेखों का रखरखाव उक्त निदेशालय द्वारा किया जायेगा। पेंशन निधि प्रबन्धक द्वारा कार्य संचालन के पूर्व इस प्रकार की निधि पर सामान्य भविष्य निधि पर अनुमन्य ब्याज दर अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

5— जब तक अलग से मानक मद निर्धारित नहीं किया जाता, अंशदायी पेंशन योजना के अधीन नियोक्ता के अंशदान की धनराशि को 01—वेतन मद से ही भुगतान किया जायेगा, जो वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ता की धनराशि के योग के 10 प्रतिशत् के बराबर होगी। एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के इनपुट—1 में अन्य वेतन शीर्षक के अधीन "एकीकृत पेंशन हेतु वेतन" के अन्तर्गत भुगतान पुरस्तांकित किया जायेगा।

6— पेंशन निधि में नियोक्ता के अंश तथा अधिकारी/कर्मचारी के वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते की धनराशि के योग के 10 प्रतिशत् अंश की सकल धनराशि कोषागार द्वारा मुख्य लेखा शीर्षक 8011—बीमा तथा पेंशन निधि के लघुशीर्षक 106—अन्य बीमा तथा पेंशन निधि के उपशीर्षक 05—पेंशन निधि में अंशदान तथा पुनर्विनियोग की इकाई/नानक मद 33—पेंशन में जमा किया जायेगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, उक्त जमा धनराशि के आहरण वितरण हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे और भारत सरकार द्वारा पेंशन निधि प्रबन्धक नियुक्त किये जाने के बाद, उनके द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन धनराशि पेंशन निधि प्रबन्धक को भेजा जायेगा। निदेशक द्वारा पेंशन निधि से सम्बन्धी वांछित सूचना/विवरण पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA), केन्द्रीय अभिलेखपाल (CRA), राज्य सरकार तथा अन्य सुसंगत स्तरों को उपलब्ध कराया जायेगा।

7— नवीन पेंशन योजना के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक : 01 अक्टूबर, 2005 होगी।

संलग्नक:— निर्धारित प्रपत्र(3)

इन्दु कुमार पान्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या— 21(1)/XXVII(7)अं0पे0यो0/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3— महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
4— रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
5— स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली।

6– सचिव, विधानसभा उत्तरांचल।
7– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
8– उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
10–निदेशक, उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
11–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
12–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

(शासनादेश सं0– 21 / XXVII(7)अं0पे0यो0 / 2005, दिनांक 25 अक्टूबर,2005 का संलग्नक)

प्रपत्र–1

(विवरण सरकारी सेवक द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में भरा जाय)

1– सरकारी सेवक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :–.....

2– पिता / पति / पत्नी का नाम :– .....

3– स्थाई पता :– .....

4– पत्र–व्यवहार का पता :– .....

5– पदनाम :–.....

6– विभाग / संगठन का नाम :–.....

7– वेतनमान :–.....

8– जन्मतिथि :–.....

9– सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि :–.....

10– मूल वेतन :–.....

11– पेंशन लेखे में संग्रहीत धनराशि हेतु नामांकन :–

क्रम सं0	नामित व्यक्ति / व्यक्तियों का नाम	आयु	कितने प्रतिशत अंश	सरकारी सेवक से सम्बन्ध

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर.....

(शासनादेश सं0– 21/XXVII(7)अ0प्रे0अ0/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 का संलग्नक)

प्रपत्र–2

(कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कोषागार तथा निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को भेजा जाने वाला विवरण)

कार्यालयाध्यक्ष का नाम.....

डी0डी0ओ0 कोड नं0 .....

कार्यालय का पूरा पता.....

क्र0 सं0	सरकारी सेवक का नाम	पद नाम	मूल वेतन	जन्म तिथि	सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	नामांकन विवरण				पेंशन खाता संख्या
						नामित व्यक्ति	आयु	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	प्रतिशत अंश	

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी

के (मुहर सहित) हस्ताक्षर.....

(इस प्रपत्र के साथ, सभी सरकारी सेवकों द्वारा प्रथम बार भरा गया प्रपत्र–1 की एक–एक छायाप्रति भी संलग्न की जाय)।

(शासनादेश सं0–21 / XXVII(7)अ0पे0यो0 / 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 का संलग्नक)

प्रपत्र–3

(कोषागार / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंशदायी पेंशन हेतु वेतन देयक के साथ लगने वाला संलग्नक तथा प्रतिमाह निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को विलम्बतम् 05 तारीख तक भेजा जाने वाला विवरण)

आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम..

डी0डी0ओ0 कोड नं0 ....

कोषागार का नाम ....

माह............................. वर्ष ....

क्रम सं0	सरकारी सेवक का नाम	पदनाम	मूल वेतन (रूपये)	महगाई वेतन एवं महगाई भत्ते का योग (रू0)	कर्मचारी का अंश (रूपये)	सरकार का अंश (रू)	टीयर–1 पेंशन फण्ड का योग (रू0)	टीयर–2 भविष्य निधि मे अंश(रू0)	अभ्युक्ति

कार्यालयाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी / कोषागार अधिकारी

के (मुहर सहित) हस्ताक्षर..

(शासनादेश सं0– 21/XXVII(7)अं0पे0यो0/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 का संलग्नक)

FORM- 1

(Details to be furnished by the Government servant)

1. Name of the Govt. servant :
   (in Block letters)
2. Name of Father/Husband/Wife :
3. Permanent address :
4. Postal address :
5. Designation :
6. Name of Ministry/Dept./Organisation :
7. Scale of Pay :
8. Date of Birth :
9. Date of Joining Govt. service :
10. Basic Pay :
11. Nominee for accumulations under the Pension Account :-

Sl. No.	Name of nominee (s)	Age	Percentage of Share payable	Relationship with the Govt. servant

Signature of Government servant.....................

DDO

(शासनादेश सं0–21 / XXVII(7)अं0पें0यो0 / 2005, दिनांक 25 अक्टूबर,2005 का संलग्नक)

FORM-2

(Format in which information is required to be sent by DDO to Director, Accounts & Entitlement)

Name of DDO &Code No. :

Name of Office & Address :

Name of the Govt. servant	Designation	Basic Pay	Date of Birth	Date of joining service	Details of nominee(s) for the accumulations under Pension Account				Pension A/c No.
					Name of nominee(s)	Age	Relationship with Government servant	% age of share	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Name of DDO:
Office seal

FORM-3

(Details of Pension contributions of each subscriber for salary bill and to be sent to Director, A.& E. Uttaranchal latest by 5th day of every month by D.D.O./concerned Treasury Officer)

Designation of D.D.O. .....

D.D.O. Code No. .....

Name of Treasury .....

Month of Contribution.....Year .....

Sl. No.	Name of Govt. servant	Desig-nation	Basic Pay (Rs.)	Total of D.P. and D.A.(Rs)	Emplo-yee's contri bution (Rs)	Govt. contri-bution (Rs)	Total of Teer-1 Pension Fund (Rs)	Teer-2 contri-bution for GPF (Rs)	Remarks

Signature & Seal of
DDO/Head of Office/Treasury

संख्या :— —/XXVII(7)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

1—निदेशक,
लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल,
23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।

2—निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें राज्य स्टेट
इन्टरनल ऑडिट, उत्तरांचल,
23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।

वित्त (सा0नि0—वे0आ0) अनुभाग—7

देहरादून : दिनांक 24 जुलाई, 2006

विषय :— दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू नई पेंशन योजना की अंशदायी कटौतियों को सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा करना तथा आवश्यक सूचना का प्रेषण।

महोदय,

शासनादेश संख्या—21/XXVII(7)/अं0पे0यो0/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों हेतु अंशदान पर आधारित नई पेंशन योजना लागू की गयी है। इस योजना के अधीन कर्मचारी के अंश तथा नियोक्ता के अंश को मुख्य लेखा शीर्षक 8011—बीमा तथा पेंशन निधियाँ, 106—अन्य बीमा तथा पेंशन निधियाँ, 05—राज्य कर्मचारी का अंशदायी पेंशन जमा तथा 33—पेंशन हेतु अंशदान में जमा करने के निर्देश दिये गये थे। महालेखाकार उत्तरांचल ने अपने पत्र दिनांक 23.06.2006 द्वारा अवगत कराया है कि भारत सरकार ने नई पेंशन योजना के अंशदान के 8011—बीमा तथा पेंशन निधियों के स्थान पर इस प्रकार की कटौतियां को 8342—अन्य जमा में वर्गीकृत करने का निर्देश दिया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व की नई पेंशन योजना के अंशदान यदि 8011—बीमा तथा पेंशन निधियाँ सुसंगत लेखा शीर्षक के अधीन जमा किये गये हों तब उक्त जमा अंशदान को संशोधित लेखा शीर्षक में जमा करने की कार्यवाही करने के साथ भविष्य में इस प्रकार की कटौतियों को 8342—अन्य जमा, 117—सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन स्कीम, 03—राज्य कर्मचारी का अंशदायी पेंशन जमा, 33—पेंशन हेतु अंशदान के अधीन जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय। दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई नई नियुक्तियों से सम्बन्धित कर्मचारियों का नामांकन तथा कटौतियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र तथा निर्धारित तिथि पर विभागीय अधिकारी एवं कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून को भेजा जाय। यदि सम्बन्धित विभागीय अधिकारी एवं कोषागार अधिकारी द्वारा यह सूचना नहीं भेजी जाती तब ऐसे प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उक्त योजना के अधीन टीयर—II की कटौतियों को किस लेखा शीर्षक में जमा किया जाय, पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक पेंशन निधि प्रबन्धक की नियुक्ति

नहीं की जाती तथा इस पर अलग से कार्य योजना नहीं बनायी जाती तब तक टीयर-II से सम्बन्धित कटौतियों के लिए वही प्रक्रिया अपनायी जाय जो भविष्य निधि खाते के रखरखाव हेतु उत्तरांचल भविष्य निधि नियमावली-2006 में दी गयी है। समस्त कोषागार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रपत्र-3 पर टीयर-I एवं टीयर-II से सम्बन्धित समस्त विवरण यदि पूर्व में नहीं भेजा गया है तो विलम्बतम् 31 अगस्त, 2006 तक निदेशक, लेखा एवं हकदारी को अवश्य उपलब्ध करा दें। यदि कोषागार में कार्यशील सॉफ्टवेयर में किसी 'अपग्रेडेशन' की आवश्यकता हो तब 05 अगस्त, 2006 तक एन0आई0सी0 से सम्पर्क कर समस्या का समाधान करा लें।

उपरोक्त आदेशों का समयबद्ध कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव।

संख्या-132 (1)/XXVII(7)/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
4- सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल।
5- रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
7- समस्त जिलाधिकारी/कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
8- स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली/पे एण्ड एकाउन्ट ऑफिस, उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली।
9- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
10- समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
11- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य इकाई उत्तरांचल, देहरादून।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

24070602

पत्रांकः 3259 / नि0ले0ह0 / 13 / अं0पें0यो0 / 2008

प्रेषक,

निदेशक,
लेखा एवं हकदारी,
23–लक्ष्मीरोड, डालनवाला,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।

दिनांकः 02 जनवरी, 2008

विषयः दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धी शासानादेश संख्या 21 / XXVII(7) / अं0पें0यो0 / 2005,दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के वित्त विभाग से अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 21 / XXVII(7) / अं0पें0यो0 / 2005,दिनांक 25 अक्टूबर,2005 का स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या 346 XXVII(7) / 2007,दिनांक 21 नवम्बर, 2007 निर्गत किया गया है। इसकी प्रति इस पत्र के साथ इस आशय से उपलब्ध करायी जा रही है कि इसका भली भॉति अध्ययन करके इसमें निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना का कियान्वयन अपने कोषागार स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप की छाया प्रति अपने कोषागार से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों / कार्यालयाध्यक्षों को भी अवश्य उपलब्ध करा दी जाय ताकि वे भी इसमें वर्णित व्यवस्था से भिज्ञ हो सकें और योजना के कियान्वयन में कोषागार का सहयोग कर सकें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एल0एन0 पंत)
अपर निदेशक।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या: 346/xxvii(7)/2007
देहरादून, दिनांक: 21 नवम्बर,2007

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– दिनांक 01–10–2005 से लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या 21/xxvii(7)अं0पें0यो0/2005, दिनांकः 25 अक्टूबर,2005 का स्पष्टीकरण ।

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ कि शासनादेश संख्या:21/xxvii(7)/2005 दिनांक 25 अक्टूबर,200 द्वारा प्रदेश में दिनांक 01–10–2005 से लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में विभिन्न विभागों,संगठनों एव संस्था3 द्वारा की गई जिज्ञासाओं के संबंध में बिन्दुवार निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदा करते हैं:–

जिज्ञासा	स्पष्टीकरण
1.पेंशन टियर–1 से संबंधित प्रपत्रों का रख–रखाव व प्रेषण किस प्रकार किया जाएगा?	पेंशन टियर–1 के प्रपत्र–1, को प्रथम नियुक्ति आदेश साथ आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम एवं को अंकित करके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्ष कर संबंधित कोषागार को भेजा जाय, ताकि आहर वितरण अधिकारी वार डाटा बेस तैयार किया जा सा एवं नियमानुसार इसकी एक प्रति निदेशक, लेखा ए हकदारी को कोषागार द्वारा उपलब्ध करायी जाय।
2.यदि किसी कार्मिक की, जो अंशदायी पेंशन योजना का सदस्य नही है, त्रुटिवश किसी माह उसके वेतन से अंशदान की कटौती पेंशन टियर–1 में हो जाती है तो उसकी वापसी की प्रकिया क्या होगी?	यदि किसी कार्मिक की त्रुटिवश अंशदान पेंशन कटौती हो गयी हो तब संबंधित कोषागार द्वारा अभिले की पुष्टि के बाद सुसंगत लेखाशीर्षक जिसमे धनरा स्थानान्तरित की गयी हो, से घटाइये वापसियों प्रकिया के अधीन कर्मचारी का अंश रिफण्ड किया जाए तथा नियोक्ता का अंश जिस लेखा शीर्षक से वेत आहरित किया गया हो उसके समरूप राजस्व प्राप्ति लेखाशीर्षक में धनराशि राजकोष में पूर्ण स्थानान्तर (Whole Transfer)प्रकिया के अधीन जमा जाय।
3.स्वैच्छिक टियर–2 लेखे का रखरखाव किस रूप में होगा?	अंशदान पेंशन योजना में टियर–2 का रख–रख अनिवार्य की बजाय विकल्प पर आधारित सामान्य भवि निधि खातो के रूप में होगा तथा इस खाते के खोल एवं रख–रखाव की व्यवस्था एवं प्रकिया वही होगी दिनांक 1–10–2005 के पूर्व नियुक्त कार्मिको पर सामा भविष्य निधि के विषय में लागू है। टियर–2 महालेखाकार सामान्य भविष्य निधि खातो की भाँति

"ग" एवं उससे उच्च स्तर के सरकारी कर्मचारियों के खाते खोल कर इनका रख-रखाव करेंगे तथा वर्ग "घ" हेतु पूर्व की भांति आहरण वितरण अधिकारी /कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इसे किया जायेगा।

शदान पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कों की प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा अवधि में काश वेतन तथा पेंशन अंशदान जमा करने की क्या एवं व्यवस्था क्या होगी?

यदि कोई सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा पर रहने के कारण कोषागार से एकीकृत भुगतान प्रणाली से वेतन प्राप्त नहीं कर रहा हो तथा उसकी भर्ती दिनांक 1-10-2005 से पूर्व की हो, तो वह स्थापित प्रकिया के अधीन चालान द्वारा अवकाश वेतन अंशदान तथा पेंशनरी अंशदान जमा करेगा । दिनांक 1-10-2005 या उसके बाद नई भर्ती के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर रहने की अवधि में अवकाश वेतन अंशदान पूर्ववत जमा करेंगे परन्तु पेंशन अंशदान हेतु कर्मचारी एवं नियोक्ता का अंशदान नयी पेंशन योजना के आधार पर चालान द्वारा राजकोष में जमा किया जाय अर्थात वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत कर्मचारी के वेतन से तथा इतनी ही धनराशि जहां पर कार्मिक प्रति नियुक्ति/बाह्य सेवा पर कार्यरत है उस सदस्य/संगठन द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह सुसंगत लेखाशीर्षक के अधीन जमा की जाएगी ।

5.जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/स्थानीय निकायों में अंशदान पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नही होता वहॉ कटौती की गयी अंशदान की धनराशि का निवेश किस प्रकार किया जाय?

जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में अंशदान पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के पेंशन फण्ड के विषय में पेंशन फण्ड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहॉ न्यूनतम सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुरक्षित निवेश किया जाय ताकि जैसे ही फण्ड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विवरण सहित फण्ड मैनेजर को हस्तान्तरित कर दी जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि, प्रत्येक विवरण कम्प्यूटर पर आधारित है, तथा उसे निरन्तर बैक अप रखा जाय। सामान्य भविष्य निधि पर अनुमन्य ब्याज के आधार पर वित्तीय वर्षवार अंशदायी पेंशन कर्मचारीवार अवशेष, वर्षान्त में 15 मई तक आहरण वितरण अधिकारी एवं कोषागार के माध्यम से लेखा पर्ची कार्मिक उपलब्ध करा दी जाय । ऐसे लेखों का 100 प्रतिशत मिलान कोषागार द्वारा किया जाय ताकि वेतन से अंशदान की कटौती एवं प्रारम्भिक अवशेष आहरण वितरण अधिकारी, कोषागार एवं निदेशक लेखा एवं हकदारी में समान पुरस्थापित हो

346

या: (1)/xxvii(7)/2007 तद्दिनांक

लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3. महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5. स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6. सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन,
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या:- 210 /XXVII(7)/2008
देहरादून:: दिनांक 3 जुलाई, 2008

<u>कार्यालय –ज्ञाप</u>

<u>विषय:</u> **दिनांक 01–10–2005 से लागू नई अंशदान पेंशन योजना लागू किये जाने के <u>सम्बन्ध में कियान्वयन के बिन्दु व प्रकिया का स्पष्टीकरण।</u>**

केन्द्र सरकार में यह योजना दिनांक 01–01–2004 से लागू है व पी0एफ0आर0डी (Pension Fund Regulatory and Development Authotrity), सी0आर0ए0 (Central Record Keeping Agency),पी0एफ0एम0(Fund Manager), ट्रस्टी व क्रस्टोडियन को नियुक्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड राज्य में यह योजना दिनांक 01–10–2005 से लागू है। राज्य सरकार द्वारा योजना के सदस्यों की संख्या, व्यक्तिगत डाटा व जमा धनराशि का व्यक्तिवार विवरण यथाशीघ्र सी0आर0ए0(Central Record Keeping Agency) को सौंपा जाना है। अतः अधिसूचना संख्या– 20/ XXVII(7)/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005, अधिसूचना संख्या– 21/ XXVII(7) अं0पे0यो0/ 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005,शासनादेश संख्या– 132/ XXVII(7)/2006, दिनांक 24 जुलाई,2006 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या– 346/ XXVII(7)/2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007 के आलोक में विभिन्न विभागों,संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा की गई जिज्ञासाओं के समाधान के लिये नई पेंशन योजना के कियान्वयन के बिन्दु व प्रकिया के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल बिन्दुवार निम्नवत स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. नई पेंशन योजना से सम्बन्धित प्रपत्रों का प्रेषण एवं रख–रखाव।

पेंशन टियर–1 का प्रपत्र–1 प्रथम नियुक्ति के समय सरकारी सेवक द्वारा 4 प्रतियों में भरा जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी इसकी जॉच कर इसमें पदनाम व आहरण वितरण का कोड नम्बर भर कर प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे। वे इसकी दो प्रतियॉ सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध करायेंगे, एक प्रति सरकारी सेवक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखेंगे तथा एक प्रति सम्बन्धित सरकारी सेवक को उसकी जानकारी के लिये उसे उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित कोषागार का दायित्व होगा कि ऐसे नव नियुक्त सरकारी सेवक का प्रपत्र–1 आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त होने पर इसकी एक प्रति प्रमाणित करते हुए निदेशक लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध कराके सरकारी सेवक का पेंशन खाता संख्या आवटित कराने के पश्चात ही सरकारी सेवक के वेतन से अंशदान की कटौती आरम्भ करें। प्रपत्र–1 की दूसरी प्रति कोषागार में अभिलेख स्वरूप अभिरक्षित रखी जाएगी । सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर प्रथम बार कोषागार से वेतन आहरित कराते समय तथा प्रपत्रों में नामांकन बदलते समय ही प्रपत्र–1 कोषागार को उपलब्ध कराया जाये। बाद में प्रत्येक माह या अन्यत्र स्थानान्तरण होने पर इसे कोषागार को उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है।

सरकारी सेवक का पेंशन खाता संख्या आवंटन के उपरान्त प्रपत्र 2 सरकारी सेवक के कार्यालय द्वारा भरा जायेगा तथा अपने यहाँ अभिलेख स्वरूप अभिरक्षित किया जाय। प्रपत्र–3 का उपयोग आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सरकारी सेवक के नई पेंशन योजना में जमा हो रहे अंशदान की धनराशि का लेजर तैयार करने के रूप में किया जाय। सामान्यतः इसे कोषागार को प्रत्येक माह देने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी सरकारी सेवक का वेतन मैनुअल रूप से तैयार करके कोषागार में प्रस्तुत किया जा रहा हो अथवा पूर्व में बकाया अंशदान चालान द्वारा जमा किया जा रहा हो तब आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र–3 को 3 प्रतियों में तैयार करके इसके सभी स्तम्भ स्वच्छ व पठनीय रूप से भर कर कोषागार में देयक के साथ उपलब्ध कराया जाएगा । कोषागार इसमें बाउचर संख्या/चालान संख्या व जमा धनराशि के सत्यापन के बाद इसकी एक प्रति अंशदान जमा के मासिक लेखे के साथ निदेशालय, लेखा एंव हकदारी को उपलब्ध करायेंगे और दूसरी प्रति मिलान के लिये अपने यहाँ अभिरक्षित रखेंगे तथा तीसरी प्रति सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को वापस करेंगे। पेंशन टियर–1 के प्रपत्र–1, 2 व 3 को यथा संशोधित करके संलग्न किया जा रहा है।

2. नई पेंशन योजना में पेंशन खाता संख्या आवंटन व इसके अंकन की प्रकिया।

नई पेंशन योजना के अन्तर्गत नियुक्त सरकारी सेवकों का प्रपत्र–1 कोषागार से प्राप्त होने के उपरान्त निदेशालय, लेखा एवं हकदारी ऐसे सरकारी सेवकों का डाटाबेस तैयार करेंगे और यूनिक पेंशन खाता संख्या आवंटित करके सम्बन्धित कोषागार को इसकी सूची उपलब्ध करायेंगे। कोषागार सम्बन्धित सरकारी सेवक का पेंशन खाता संख्या अपने यहाँ कम्प्यूटर पर कियाशील पैकेज के फील्ड में भर कर वेतन का डाटाबेस अपडेट करेगें तथा पेंशन खाता संख्या की सत्यापित सूची सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों को उनके पेंशन खाता संख्या की सूचना से अवगत करायेंगे तथा अपने अभिलेखों को अभिरक्षित करेंगे। एक बार यूनिक पेंशन खाता संख्या आवंटित हो जाने के पश्चात सरकारी सेवक के स्थानान्तरण, प्रोन्नति या अन्य विभाग में सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति होने की दशा में पेंशन खाता संख्या वही रहेगी जो एक बार आंवटित हो चुकी है। यह किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होगी। यूनिक खाता संख्या खोले जाने के बाद इसकी सूचना सम्बन्धित कार्मिक को कोषागार के माध्यम से दी जायेगी।

3. कोषागार से वेतन आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही।

कोषागार उसी सरकारी सेवक के वेतन से अंशदान की कटौती व सरकार का अंश जमा करके वेतन का आहरण एवं भुगतान करेगा, जिसे निदेशालय, लेखा एवं हकदारी से यूनिक/पेंशन खाता संख्या आवंटित हो चुका है। सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह विलम्बतम् 25 तारीख तक इस योजना के अधीन सेवारत कार्मिक के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन हो यथा वेतन तदसम्बन्धित भत्तों में होने वाले परिवर्तन, उपस्थिति, निलम्बन, स्थानान्तरण/ सेवा से त्यागपत्र/ मृत्यु की सूचना कोषागार को एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–235/21/वि0 अनु0–1/ 2001, दिनांक 06 दिसम्बर, 2001 में वर्णित प्रपत्र–2(2) के स्थान पर प्रपत्र–2(3) में सूचना भर कर कोषागार

को उपलब्ध करायेंगे। प्रत्येक माह वेतन देयक तैयार करते समय इसके अभाव में कोषागार किसी भी दशा में वेतन आहरण व भुगतान की कार्यवाही नहीं करेगा। इसके लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी स्वंय उत्तरदायी होगा।

4. एरियर से अंशदान की कटौती की कार्यवाही।

कोषागार व सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी ऐसे कार्मिकों को चिन्हित करके अधिकतम 5 किस्तों में आपस में समन्वय स्थापित करके ऐसे रीति से जमा कराये जिसमें सरकारी सेवक को कोई परेशानी न हो और कोषागार स्तर पर आहरण–जमा तथा लेखा अंकन में भी सुविधा हो। ऐसे प्रकरणों में आहरण वितरण अधिकारी प्रपत्र–3 के अनुसार कर्मचारियों का नाम, पेंशन खाता संख्या, मूल वेतन, सम्बन्धित माह/वर्ष सरकारी सेवक का अंशदान व सरकार के अंशदान की धनराशि बाउचर संख्या व दिनांक अथवा चालान संख्या व दिनांक आदि अंकित करके कोषागार को दो प्रतियों में उपलब्ध करायेगा। कोषागार इसमें अंकित विवरण का मिलान कोषागार में पुस्तांकित आंकड़ों से करके सत्यापित कर निदेशालय लेखा एवं हकदारी को सम्बन्धितों के पेंशन खाता संख्या में इसकी पोस्टिंग के लिये भेजेगा। एरियर में ब्याज बाउचर/चालान जमा के दिनांक से मिलेगा।

5. निदेशालय, लेखा एवं हकदारी द्वारा कार्यवाही।

कोषागार नई पेंशन योजना से सम्बन्धित कार्मिक के वेतन के आहरण एवं भुगतान के पश्चात कम्प्यूटर से जनरेट हो रहे शिड्यूल–3 पर लेखे का डाटा अगले माह की 12 से 13 तारीख को निदेशालय, लेखा एवं हकदारी में उपलब्ध करायेगा। प्रत्येक माह कोषागार से प्राप्त लेखे शिड्डयूल–3 के अनुसार निदेशालय, लेखा एवं हकदारी स्तर पर अपने यहॉ क्रियाशील पैकेज पर पोस्टिंग/ बाय इलैक्ट्रानिक मिडिया से ट्रांसफर के बाद जमा धनराशि के आंकड़ों को आहरण वितरण अधिकारीवार व कोषागारवार रखा जायेगा। इस रीति से तैयार लेखे का मिलान कोषागार स्तर पर रखे गये लेखे से निदेशालय, लेखा एवं हकदारी में तैयार आंकड़ों से त्रैमासिक रूप से किया जायेगा। ऐसे लेखा का मिलान एवं सत्यापन शतप्रतिशत होने का प्रमाण पत्र निदेशालय, लेखा एवं हकदारी द्वारा सम्बन्धित कोषागारों को त्रैमासिक रूप से भेजा जायेगा। यह कार्यवाही जून,सितम्बर,दिसम्बर व मार्च के त्रैमासिक रूप से की जायेगी।

निदेशालय लेखा एवं हकदारी सामान्य भविष्य निधि पर अनुमन्य ब्याज के आधार पर वित्तीय वर्षवार अंशदायी पेंशन में जमा धनराशि का अवशेष कर्मचारीवार वर्षान्त में 15 मई तक कोषागार के माध्यम से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी अपने यहॉ कर्मचारीवार तैयार लेजर से प्रविष्टियों का मिलान करेगें तथा सही पाये जाने पर अपने अधीनस्थ कार्मिकों को इसकी प्रति उपलब्ध करायेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि अथवा जमा धनराशि की प्रविष्टि में अन्तर पाये जाने पर इसका मिलान एवं सत्यापन सम्बन्धित कोषागार से करायेंगे। कोषागार मिलान एवं सत्यापन के बाद इसे निदेशालय, लेखा एवं हकदारी को इंगित त्रुटियों अथवा अन्तर की धनराशि को शुद्ध करने हेतु उपलब्ध करायेंगे। इस प्रकार के मिलान/सत्यापन व त्रुटि को निदेशालय में ठीक कराने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व कोषागार उत्तरदायी होंगे और बाद में वास्तविक रूप से जमा धनराशि का मिलान महालेखाकार कार्यालय में कोषागार द्वारा उपलब्ध कराये गये

आंकड़ों से किया जायेगा तथा सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी को कोषागारवार व्यक्तिवार, आहरण वितरण अधिकारीवार जमा धनराशि के आंकड़े उपलब्ध कराये जायेंगे। चूँकि कोषागार एवं लेखा एवं हकदारी में कम्प्यूटर आधारित पैकेज पर कार्य हो रहा है अतः भविष्य में समस्त डाटा इलैक्ट्रानिक मीडिया से एक दूसरे को उपलब्ध कराया जाय। कोषागार में क्रियाशील पैकेज व लेखा एवं हकदारी में क्रियाशील पैकेज को आवश्यक्तानुसार अपडेट कराने के दृष्टिकोण से निदेशक, लेखा एवं हकदारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। निदेशक, लेखा एवं हकदारी व निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड एकक सचिवालय,देहरादून आपस में समन्वय स्थापित करके एक टीम गठित करेगें, जो इस कार्य को प्रत्येक दशा में 15 जुलाई 2008, तक पूर्ण करेगी।

6.कोषागार स्तर पर जनरेट होने वाले अंशदान लेखे के शिड्यूल–3 का मिलान व आहरण वितरण अधिकारी स्तर पर इसके लेजर का रख–रखाव।

कोषागार कम्प्यूटर से जनरेट हो रहे शिड्यूल –3 के लेखे को निदेशालय, लेखा एवं हकदारी को अगले माह की 12 से 13 तारीख तक उपलब्ध कराने से पूर्व इसकी एक प्रति सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को प्रत्येक माह उपलब्ध करायेगा और इसमें अंकित लेखे के डाटा का मिलान सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को प्रत्येक माह की 2 तारीख तक प्रेषित किया जायेगा। प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आहरण वितरण अधिकारी द्वारा मिलान एवं सत्यापन का प्रमाण कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी कोषागार से प्राप्त कम्प्यूटर जनित शिड्यूल–3 के लेखे की सहायता से अपने यहॉ कार्मिकों के अंशदान की धनराशि का कार्मिकवार लेजर बनायेंगे जैसे कि सामान्य भविष्य निधि खाता में जमा धनराशि के लिये बनाया जा रहा है।

7. सेवा में रहते सेवा से त्याग पत्र, मृत्यु की दशा में जमा धनराशि के भुगतान की कार्यवाही।

ऐसे प्रकरणों में जब तक नई पेंशन योजना के सदस्यों की अंशदान की धनराशि सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग ऐजेन्सी के माध्यम से फण्ड मनेजर को उपलब्ध नहीं करायी जाती, तब तक ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी अपने अभिलेखों से मिलान करके कुल धनराशि भुगतान करने हेतु कोषागार को अवगत करायेगा। सम्बन्धित कोषागार इसका मिलान एवं सत्यापन अपने यहॉ पुस्तांकित लेखे से करके इसे निदेशक, लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, लेखा एवं हकदारी सम्बन्धित कार्मिक के पेशन खाता संख्या में जमा धनराशि से इसका मिलान करके उस तिथि तक 8 प्रतिशत ब्याज आगणित करते हुए कुल धनराशि की जमा अंशदान की लेखा पर्ची तैयार करके सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध करायेंगे, तद्पश्चात कोषागार समस्त धनराशि का आहरण उसी रीति से करेगें जैसे सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि को आहरित करने की प्रक्रिया है। आहरित धनराशि का चैक सम्बन्धित कर्मचारी के बैंक खाते में भुगतान हेतु जमा कर दिया जायेगा। ***अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। एक बार फण्ड मैंनेजर की नियुक्ति एवं सैंन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी को अभिलेख हस्तान्तरण के उपरान्त ऐसे मामलों में जमा अंशदान की धनराशि की वापसी सैंन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी, फण्ड मनेजर एवं राज्य***

सरकार द्वारा बाद में निर्धारित की जाने वाली प्रकिया एवं शर्तो के अनुसार की जा सकेगी।

8.एक जनपद/कोषागार से दूसरे जनपद/कोषागार में कार्मिक के स्थानान्तरित होने पर आहरण वितरण अधिकारी एवं कोषागार के दायित्व ।

किसी एक जनपद/कोषागार से अन्यत्र स्थानान्तरण की दशा में आहरण वितरण अधिकारी सुनिश्चित करेंगें कि एल0पी0सी0 में कार्मिक का अंशदान पेंशन खाता संख्या अंकित हो एवं उक्त कार्मिक के अंशदायी पेंशन योजना में जमा धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख, यथा लेजर व वार्षिक लेखा पर्ची इत्यादि को सेवा पुस्तिका के साथ नव तैनाती के कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। नव तैनाती के जनपद कोषागार में पहली बार वेतन भुगतान के समय सम्बन्धित अहारण वितरण अधिकारी ऐसे कार्मिकों की सूचना कोषागार में एल0पी0सी0 के साथ–साथ शासनादेश संख्या– 235/21/ वि0 अनु0–1/ 2001, दिनांक 06 दिसम्बर, 2001 में संलग्न प्रपत्र–2(1) व प्रपत्र 2(3) के अनुसार भर कर देगा। स्थानान्तरण की स्थति में कार्मिक कहॉ के लिये स्थानान्तरित हुआ है व कहॉ से आया है का विशेष रूप से उल्लेख किया जाय। कोषागार अपने यहॉ कियाशील पैकेज में तद्दनुसार कार्मिकों का व्यक्तिगत डाटा के साथ–साथ पेंशन खाता संख्या को फीड करके सूचना अपडेट करेंगे। कोषागार अंशदान से सम्बन्धित मासिक लेखे के शिड्यूल–3 के साथ ऐसे कार्मिकों की सूचना जो सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से कोषागार को प्रपत्र–2(3) में प्राप्त हुयी है, की एक सत्यापित प्रति लेखे के साथ निदेशालय, लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध करायेंगे। निदेशालय, लेखा एवं हकदारी लेखा का डाटा तैयार करते समय ऐसे कार्मिकों को पूर्व कोषागार से नये कोषागार की फील्ड में डाटा ट्रांस्फर करके डाटा अपडेट करेंगे।

9. जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/स्थानीय निकायों/अशासकीय विद्यालयों/विश्वविद्यालयों आदि में अंशदान पेंशन योजना लागू है तथा कोषागार से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता है, वहॉ कटौती की गयी अंशदान की धनराशि का निवेश की प्रकिया।

इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 346/XXVII(7)/2007 दि0 21 अक्टूबर 2007 कि बिन्दु 5 में आवश्यक स्पष्टीकरण पूर्व में ही निर्गत किया जा चुका है। इतना और इंगित करना है कि ऐसी संस्थाओं में अशासकीय विद्यालय/महाविद्यालय आदि भी पढा जाय और ऐसी संस्थायें अपने यहॉ नियुक्ति ऐसे कार्मिकों के अंशदान की धनराशि के जमा, लेखांकन व मिलान उसी रीति से अपने विभाग व आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर करें जिस रीति से कोषागार व निदेशालय, लेखा एवं हकदारी में किये जाने की प्रकिया है।

10. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी व केन्द्र सरकार/भारत सरकार के कार्मिक जो 1 जनवरी, 2004 से नई पेंशन योजना के सदस्य हैं और वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में तैनात हैं, के अंशदान की धनराशि के लेखा तैयार करने की प्रकिया।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी व केन्द्र सरकार/भारत सरकार के कार्मिक जो 1 जनवरी, 2004 से नई पेंशन योजना के सदस्य हैं और वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में तैनात

हैं, को यदि केन्द्र/भारत सरकार के प्रतिष्ठान द्वारा पेंशन खाता संख्या आवंटित हुआ है तब उत्तराखण्ड राज्य में उन्हें नया पेंशन खाता संख्या आंवटन की आवश्यकता नहीं होगी, कोषागार उसी पेंशन खाते संख्या को अपने पैकेज के फील्ड में फीड करके ऐसे प्रकरणों में अंशदान जमा की सूचना निदेशालय, लेखा एवं हकदारी को अलग से प्रेषित करेगा। परन्तु ऐसे अधिकारी जिन्हें न तो केन्द्र/भारत सरकार के प्रतिष्ठान से या निदेशालय, लेखा एवं हकदारी से अभी तक यूनिक पेंशन खाता संख्या आवंटन नहीं हुआ है, को उसी रीति से यूनिक पेंशन खाता संख्या आवंटित किया जाय, जिस रीति से राज्य सरकार के कार्मिकों को किया जा रहा है।

11. तदर्थ रूप से नियुक्त पद धारकों के लिए अंशदान पैंशन योजना लागू होगी अथवा नही के संम्बन्ध में।

तदर्थ नियुक्ति सेवा नियमों के अनुसार नियमित नियुक्ति नहीं होती है इसलिए दिनांक 1/10/2005 अथवा इसके बाद तदर्थ रूप से नियुक्त पद धारकों के लिए अंशदान पैंशन योजना लागू नहीं होगी।

अंशदान पेंशन योजना से सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित अधिसूचना दि0 25/10/05, एवं शासनादेशों दिनांक 24/7/2008, एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21/11/2007, को इस कार्यालय ज्ञाप में निर्धारित प्रकिया एवं निर्देशों की सीमा तक संशोधित समझा जाय। निदेशालय, लेखा एवं हकदारी व राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड एकक सचिवालय, देहरादून के साथ समन्वय स्थापित करके प्रदेश के समस्त कोषागार अधिकारियों को विडियो कान्फ्रेसिग के माध्यम से एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करके अपने स्तर से भी उपरोक्त वर्णित प्रकिया का प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करके प्रशिक्षण के उपरान्त कोषागार जिला स्तर पर आहरण वितरण अधिकारियों की बैठक करके शासनादेश में वर्णित प्रकिया पर विस्तृत चर्चा करके आहरण वितरण अधिकारियों को इसकी प्रति उपलब्ध कराके प्रकिया का शतप्रतिशत रूप से कियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(राधा रतूडी)
सचिव वित्त।

संख्याः 210 (1)/XXVII(7)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग सहारनपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल मा0 उच्च न्यायलय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल/एन.आई.सी. उत्तराखण्ड देहरादून,
10. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को 500 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

(शासनादेश संख्या –21/**XVI(7)va**अं0पें0यो0/2005,दिनांक 25 अक्टूबर,2005 का संशोधित संलग्नक)

प्रपत्र–1

(विवरण सरकारी सेवक द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों मे भरा जाय)

1– सरकारी सेवक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):–.....

2– पिता/पति/पत्नी का नाम :–.....

3– स्थाई पता:–.....

4– पत्र व्यवहार का पता:–.....

5– पदनाम:–.....

6– विभाग/संगठन का नाम:–.....

7– वेतनमान:–.....

8– जन्मतिथि:–.....

9– सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि:–.....

10– मूल वेतन:–.....

11– पेंशन लेखे में संग्रहित धनराशि हेतु नामांकन:–

क्रम सं0	नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम	आयु	कितने प्रतिशत अंश	सरकारी सेवक से सम्बन्ध

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर./नाम/पदनाम.....

सत्यापित द्वारा
आहरण वितरण अधिकारी
के (मुहर सहित) हस्ताक्षर.....

(शासनादेश संख्या –21/XVI(7)va अं0पें0यो0/2005,दिनांक 25 अक्टूबर,2005 का संलग्नक)

प्रपत्र–2

(कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कोषागार तथा निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को भेजा जाने वाला विवरण)

कार्यालयाध्यक्ष का नाम.....

डी0डी0ओ0 कोड नं0.....

कार्यालय का पूरा पता.....

क0 सं0	सरकारी सेवक का नाम	पद नाम	मूल वेतन	जन्मतिथि	सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	नामांकन विवरण				पेंशन खाता सं0
						नामित व्यक्ति	आयु	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	प्रतिशत अंश	

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी
के (मुहर सहित) हस्ताक्षर.....

(इस प्रपत्र को सरकारी सेवक द्वारा प्रथम बार भरा गया प्रपत्र–1 की एक अतिरिक्त प्रति के साथ कार्यालय मे अभिरक्षित रखा जाय)

शासनादेश संख्या 235/21/वि0अनु0–1/2001,दिनांक 06 दिसम्बर, 2001 का संलग्नक

प्रपत्र–2(3)

(केवल अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य सरकारी सेवकों के मासिक वेतन देयक के साथ माह में होने वाले परिवर्तन का सारांश)

1. कार्यालय का नाम.........
2. विभागीय आहरण वितरण अधिकारी का नाम........
3. आहरण वितरण अधिकारी का कोड......
4. अनुदान संख्या..........
5. लेखा शीर्षक(विभागीय लेखा शीर्षक 13डिजिट)
6. आयोजनागत/आयोजनेत्तर/मतदेय/भारित
7. कुल कर्मचारी/अधिकारी की संख्या जिनका वेतन विगत माह आहरण किया गया है.............
8 वर्तमान माह में कुल अधिकारियों की संख्या जिनका वेतन आहरित होना है.....

अन्यत्र से स्थानान्तरण के फलस्वरूप सम्मिलित कार्मिकों की संख्या व यूनिक पेंशन खाता संख्या	नव नियुक्ति कार्मिकों की कुल संख्या जिनको पेंशन खाता संख्या आवंटित होना है।	अन्यत्र स्थानान्तरित हो चुके कर्मचारियों की कुल संख्या व यूनिक पेंशन खाता संख्या जो इस माह सम्मिलित नहीं हैं	सेवा से मुक्त हो चुके कर्मिकों की संख्या व यूनिक पेंशन खाता संख्या	मृत्यु के कारण सेवा से मुक्त कार्मिकों की संख्या व यूनिक पेंशन खाता संख्या	किसी अन्य–अन्य कारणों से जिनका वेतन इस माह आहरित नहीं होना है, की कुल संख्या व यूनिक पेंशन खाता संख्या	अभ्युक्ति
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
कुल योग	कुल योग	कुल योग	कुल योग	कुल योग	कुल योग	महा योग

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

(शासनादेश संख्या –21/**XVI(7)va**अं0पें0यो0/2005,दिनांक 25 अक्टूबर,2005 का संशोधित संलग्नक)

<u>प्रपत्र–3</u>

(आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंशदायी पेंशन हेतु वेतन देयक के साथ लगाया जाने वाला प्रपत्र जिसको सत्यापन के बाद कोषागार द्वारा प्रतिमाह निदेशक, लेखा एवं हकदारी को विलम्बतम् 05 तारीख तक भेजा जाना है, का विवरण)

कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम./पता.....
आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम.....
डी0डी0ओ0 कोड नं0.....
कोषागार का नाम.....
माह(जिस माह के वेतन का अंशदान है)..... वर्ष.....
कोषागार का नाम.....

क्र0 सं0	सरकारी सेवक का नाम	पद नाम/ कर्म चारी कोड सं0	पेंशन खाता संख्या (लेखा एवं हकदारी नि0 से आवंटन के पश्चात भरा जायेगा)	मूल वेतन (रू0)	मंहगाई वेतन (रू0)	महंगाई भत्ता (रू0)	कर्मचारी का अंश (रू0) (स्तम्भ 5, 6 व 7 प्रत्येक के 10%का योग)	सरकार का अंश (रू0) स्तम्भ–8 के बराबर की धनरार्शि	टीयर–1 पेंशन फण्ड का योग (रू0) (स्तम्भ–8 व 9 का योग)	टीयर–2 भविष्य निधि में अंश (रू0)	स्तम्भ–10 की धनराशि की कटौती का चालान सं0/ कोषागार बाउचर सं0/ दिनांक	स्तम्भ–11 की धनराशि की कटौती का चालान/को षागार बाउचर सं0/ दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
.....												

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी
(मुहर सहित) हस्ताक्षर

कोषागार अधिकारी
(मुहर सहित) हस्ताक्षर

(शासनादेश संख्या –21/**XVI(7)va**अं0पें0यो0/2005,दिनांक 25 अक्टूबर,2005 का संशोधित संलग्नक)

FORM-1

(Details to be furnished by the government servant)

1- Name of the Govt. servant :
(in Block letters)
2 Name of father/husband/wife :
3- Permanent address :
4- Postal address :
5- designation :
6- Name of Ministry/Dept./Organisation :
7- Scale of Pay :
8- Date of Birth :
9- Date of Joining Govt. service :
10- Basic Pay :
11- Nominee for accumulations under the Pension Account:-

SI NO.	Name of nominee (s)	Age	Percentage of Share payable	relationship with the Govt. servant

Signature of Goverment servant .....

Certified by

Signature of DDO
Office seal

(शासनादेश संख्या –21/XVI(7)va अं0पें0यो0/2005,दिनांक 25 अक्टूबर,2005 का संशोधित संलग्नक)

FORM-2

(Format in which information is required to be sent by DDO to Director, Account, & Entitlemen)

Name of DDO & Code No. :
Name of Office & Address :

Sl. NO.	Name of Govt. Servant	Designation	Basic Pay	Date of birth	Date of Joinoing service	Details of nominee (s) for the accumulation under Pension Account				Pension Account NO.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Name of DDO :
Office seal

(शासनादेश संख्या –21 / XVI(7)va अं0पें0यो0 / 2005,दिनांक 25 अक्टूबर,2005 का संशोधित संलग्नक)

Form-3

(Details of Pension of each subscriber for salary bill , to be sent to concerned Treasury by DD0 and Treasury will certify it then send to Director, A& E uttaranchal latest by 5th day of every month by concerned Treasury Officer)

Designation of Head of Office & Address.....

Designation of D.D.O.....

D.D.O. Code NO.....

Month (concerned salary Contribution.).....Year.....

Teasury Name.....

S. N.	Name of Govt. servant	Desi-gnation/ Employee's Code	Pension Account NO. (to be fil after allotment by A&E Direc trate)	Basic Pay (Rs)	Total of D.P. .(Rs)	Total of D.A. (Rs)	Employee's contribution (Rs)(Total of 10%per column-5, 6 & 7)	Govt. contribution (Rs) (Same as Column 8)	Total of Teer-1 Pension Fund (Rs) (Sum of Column 8&9)	Teer-2 contribution for GPF (Rs)	Try Chalan no./Try voucher no. & date of deduction of Column 10	Try Chalan no./Try voucher no. & date of deduction of Column 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
...												

signature & Seal of
DDO/Head of Office

signature & Seal of
Treasure Officer

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7
संख्या– 26 / XXVII(7)/2008
देहरादून: दिनांक 30 जनवरी, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स नियम, 1961 उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) नियमावली, 2009

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1)– इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन)नियमावली, 2009 है।

(2)–यह दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2– नियम 2 के उपनियम(3) का संशोधन उत्तरांचल(उ0प्र0 रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स नियम, 1961) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) के नियम–2 के उपनियम–(3) में नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
"(3) यह नियमावली राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में पेंशनी स्थापना सेवाओं और पदों पर, चाहें वे अस्थायी हो या स्थायी हों, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।"	"(3) यह नियमावली राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में पेंशनी स्थापना सेवाओं और पदों पर, चाहें वे अस्थायी हों या स्थायी हों, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी; परन्तु यह की जो कर्मचारी दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके बाद राज्य सरकार की किसी सेवा में नये नियुक्त हुये है परन्तु वे उक्त तिथि के पूर्व उत्तराखण्ड राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा में थे और पुरानी पेंशन हितलाभ योजना से आच्छादित थे तथा जिनकी पुरानी राजकीय सेवा और नई राजकीय सेवा के मध्य कोई व्यवधान नहीं हुआ हैं, ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन हितलाभ योजना से ही आच्छादित होगें।

संख्याः- 26 / XXVII(7) / 2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
11. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त

संख्या: 179/xxvii(7)फ0वैने0/2009

प्रषक,

राधा रतूड़ी

सचिव वित्त

उत्तराखण्ड शासन ।

सेवामें,

निदेशक,

लेखा एवं हकदारी,

23 लक्ष्मी रोड,डालनवाला,

देहरादून।

वित्त (वे0आ0–सा0नि)अनु0–7 देहरादून: दिनांक: 21 जुलाई,2009

विषय:–नई अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत पी0एफ0आर0डी0ए0 से पत्राचार,एन0एस0डी0एल0 तथा एन0पी0एस0 ट्रस्ट तथा फण्ड मैनेजर से राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नोडल अधिकारी नामित करने तथा अनुबन्ध करने हेतु नामांकन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, पी0एफ0आर0डी0ए0 के अर्द्ध0 शा0प0 सं0–8/9/2007 पी0एफ0आर0डी0ए0 दिनांक 14 जनवरी,2009 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से पी0एफ0आर0डी0ए0 तथा उसकी अन्य इकाईयो यथा एन0एस0डी0एल0,एन0पी0एस0 ट्रस्ट तथा फण्ड मैनेजर से पत्राचार एवं अन्य कार्यवाही राज्य सरकार की ओर से करने हेतु निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मीरोड,डालनवाला, देहरादून जिनका दूरभाष सं0 (0135)2653774(का0),27130776(फैक्स)तथा 2713923 (का0)है, को नोडल अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्य सरकार की ओर से सम्प्रति श्री टी0एन0 सिंह, अपर सचिव, वित्त ही निदेशक, लेखा एवं हकदारी हैं, जो उक्त हैसियत से एन0एस0डी0एल0,एन0पी0एस0 ट्रस्ट तथा फण्ड मैनेजर से आवश्यक अनुबन्ध के निष्पादन की कार्यवाही करेंगे। राज्य सरकार के द्वारा फण्ड मैनेजर के रूप में स्टेट बैंक आफ इण्डिया का चयन किया गया है, जिनसे तत्काल अनुबन्ध निष्पादन करने की कार्यवाही निष्पादित कर शासन को अवगत कराया जायेगा।

3– नई पेंशन स्कीम में भारत सरकार की इकाइयों से अनुरोध है कि वे उक्तानुसार अवगत होते हुए नोडल अधिकारी से सम्पर्क करके अन्य

आवश्यक अनुबन्ध निष्पादन के साथ उक्त योजना के अन्तर्गत अन्य आवश्यक औपचारिकतायें नोडल अधिकारी से सम्पर्क करके अविलम्ब पूर्ण कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त

संख्या : 179 (1)/XXVII(7)/2009तददिनॉक
प्रतिलिपिः—निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—कार्यकारी निदेशक, पी0एफ0आर0डी0ए0,प्रथम तल,आई0 सी0 ए0डी0आर0 भवन,प्लाट नम्बर.6 वसन्त कुंज, संस्थागत क्षेत्र, फेज ii, नई दिल्ली।

2—स्टेट बैंक आफ इण्डिया फण्ड मैनेजर,

3—एन0एस0डी0एल0, चतुर्थ तल—'ए' विंग ट्रेड वर्ल्ड कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापत मार्ग,लोवर पर्ल, मुम्बई

4—एन0पी0एस0 ट्रस्ट प्रथमं तल,आईसीएडीआर बिल्डिंग प्लाट न0—6,बैसंतकुज इन्स्टीट्यूशनल एरिया, फेज—2 नई दिल्ली।

5—निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मीरोड,देहरादून।

6 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या 643 /XXVII (7) (अं0पे0यो0)/ 2010
देहरादून :: दिनाँक 11 अगस्त, 2010

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार की सरकारी सेवा में दिनाँक 1 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके बाद आने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए अधिसूचना संख्या 20/XXVII (7)/ 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा नई अंशदान पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। इस सम्बन्ध में अब तक समय–समय पर अधिसूचना सं0 21/XXVII (7)अं0पें0यो0/2005, दि0 25 अक्टूबर, 2005,का0ज्ञा0 सं0 132/XXVII (7)/2006, दि0 24 जुलाई, 2006, सं 346/XXVII(7)/2007, दि0 21 नवम्बर, 2007 तथा, सं0 210/XXVII (7)/2008, दि0 3 जुलाई, 2008 जारी किए जा चुके है।

2– इस योजना की प्रगति समीक्षा करने पर पाया गया है कि उक्त शासनादेशों द्वारा दिए गए निर्देशों का ठीक प्रकार से अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण तथा परिवर्तन की आवश्यकता है। अतः इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नवत बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण निर्गत किए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(1)– **पूर्व व्यवस्था में परिवर्तन** :– उपरिउल्लिखित अधिसूचना/कार्यालय ज्ञापों द्वारा निर्गत व्यवस्थाओं में निम्नलिखित परिवर्तन किये जा रहे है :–

(i)– पत्र संख्या 356 /Dir A & E/ एन0पी0एस0/ 2009, दिनाँक 15 जुलाई, 2009 से राज्य हेतु उक्त योजना के लिए एक फण्ड मैनेजर (एस0बी0आई0) नियुक्त किया गया था, परन्तु अब उक्त एक के स्थान पर 3 फण्ड मैनेजर यथा एस0बी0आई0, एल0आई0सी0 एवं यू0टी0आई0 नियुक्त किये जाते हैं।

(ii)–पूर्व में सभी कोषागारों के माध्यम से विकेन्द्रीयकृत मोड में डाटा ट्राँसफर की व्यवस्था की गयी थी जिसे अब केन्द्रीयकृत मोड में किया जायेगा।

(iii)–एक बार टीयर–1 का खाता खोले जाने के बाद कोई कर्मचारी एन0एस0डी0एल0 (नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड), जिसको सरकार द्वारा सी0आर0ए0 (सेंट्रल रिकार्डकीपिंग एजेन्सी) नियुक्त किया है, द्वारा निर्धारित फैसेलिटेशन सेंटर (पी0 ओ0 पी0 – पॉइंट आफ प्रेजेन्स), जिसके पते संलग्न प्रपत्र "क" में दिये गये है, में टियर–2 का खाता खोल सकता है। उक्तवत् खाता खोलने पर कर्मचारी एवं एन0 एस0 डी0 एल0 के मध्य करार होगा एवं नियोक्ता का इस सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं होगा।

(iv)–पूर्व व्यवस्थानुसार टियर–2 खाता महालेखाकार, उत्तराखण्ड कार्यालय में खोले जाने की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।

(v)–कार्यालय ज्ञाप संख्या 346/XXVII (7)/2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा ऐसे स्वायत्तशासी संस्था/ स्थानीय निकाय, जो राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं करते हैं, हेतु यह व्यवस्था दी गई थी कि सी0आर0ए0 के नियुक्त होने तक नई पेंशन योजना की धनराशि ऐसे बैंक/संस्था में जमा करेंगे, जहां ब्याज सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम न हो। इस सम्बन्ध में एन0एस0डी0एल0 द्वारा दिनाँक 11 व 12 दिसम्बर, 2009 को सम्पन हुए कार्यशाला में यह बताया कि एक बार जब राज्य सरकार के

कर्मचारियों की धनराशि बैंक ऑफ इण्डिया को भेजी जाने लगेगी, तो एन0एस0डी0एल0 उक्त संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं को भी अलग से स्वतंत्र रूप में सी0आर0ए0 में रजिस्टर करने की सुविधा उपलब्ध करायेगा।

(vi)–प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मियों के विषय में पूर्व में स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। प्रतिनियुक्ति पर गये राजकीय कर्मियों द्वारा सम्बन्धित कोषागार/सी0आर0ए0 से पी0आर0ए0एन0 (पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउण्ट नम्बर) लेने के बाद अपने व नियोक्ता के अंशदान की कुल धनराशि का ड्राफ्ट वेतन आहरण प्राधिकारी द्वारा पूर्ण विवरण सहित यथा नाम, पी0आर0ए0एन0, कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता के अंशदान को निदेशक, लेखा एवं हकदारी को भेजना होगा, जो इस प्रकार प्राप्त आंकड़े व फण्ड को सी0आर0ए0 को भेजेंगे। अतः अब नई पेंशन योजना के अन्तर्गत चालान द्वारा धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस आशय के आदेश भी सभी बैंकों को कोषागारों द्वारा दिये जायें। यदि किन्हीं कारणों से मैनुअल बिल बनाना अपरिहार्य हो तो उक्त बिलों से अंशदान की कटौती नही की जायेंगी।

(2)– <u>कोषागार से आहरण, सी0 आर0 ए0 व फन्ड मैनेजर को जमा अंशदान का प्रेषणः</u>– डाटा सेंटर प्रत्येक पूर्व माह का विस्तृत डाटा एस0सी0एफ0 के रूप में संलग्नक के प्रपत्र "ख" में आगामी माह की 10 तारीख तक सी0डी0 में एक कवरिंग लेटर (दो प्रतियों में) के साथ जिसमें कोषागारवार कुल कर्मचारियों की संख्या व धनराशि का उल्लेख होगा, निर्धारित संलग्नक के प्रपत्र "ग" में निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को उलपब्ध कराया जायेगा। परन्तु प्रत्येक वर्ष के माह मार्च का डाटा उसी माह की 25 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर माह के अन्त में निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा देहरादून कोषागार से घटाईये वापसी के माध्यम से उक्त धनराशि आहरित कर बैंक ऑफ इण्डिया, मुम्बई को भेजी जायेगी एवं इसकी प्रतिलिपि सी0आर0ए0 को पृष्ठांकित की जायेगी। इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार एवं निदेशक, एन0आई0सी0 कोषागार के सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक 01 सितम्बर, 2010 से अंशदायी पेंशन योजना की धनराशि कोषागारों द्वारा लेखाशीर्षक "0071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में 00– 117–नई पेंशन योजना, 01– कर्मचारी का अंश, 02– नियोक्ता का अंश" के नामे जमा की जायेगी।

(3)– <u>भविष्य में पी0आर0ए0एन0 (प्रान) प्राप्त करने की प्रकिया</u> :– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा अब तक सॉफ्ट कापी के माध्यम से 25997 कार्मिकों के सी0आर0ए0 से प्रान आबंटित करवा लिए गये हैं, जों डाटा सेंटर द्वारा समस्त कोषागारों के डेटाबेस में अपडेट किये जायेंगे और शेष कार्मिकों के प्रान माह अगस्त तक प्राप्त कर लिये जाएंगे। जिन कार्मिकों को सॉफ्ट कापी के माध्यम से प्रान प्राप्त हुए हैं, उन्हें सी0आर0ए0 द्वारा निर्धारित हार्ड कापी (Form S1) को भी भरकर अबिलम्ब कोषागारों के माध्यम से सी0आर0ए0 के फैसिलिटेशन सेंटर में जमा कराने होंगे और इसी के आधार पर ही सी0आर0ए0 द्वारा कार्मिकों का सम्पूर्ण डेटा अपडेट कर प्रान किट उपलब्ध करायी जायेंगी। दिनांक 31 जुलाई, 2010 के बाद निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा पूर्व व्यवस्था के अनुसार सी0पी0एस0एन0 (कन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम नम्बर) आबंटित नहीं किये जायेंगे। अब नव नियुक्त कार्मिकों को सम्बन्धित कोषागार के माध्यम से फार्म एस0–1 भरकर सी0आर0ए0 के फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से ही पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउण्ट नम्बर (प्रान) आबंटन करवाना होगा। कोषागारों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेंगा कि कार्मिकों को सी0आर0ए0 से प्रान आबंटन होने के बाद ही अंशदान की कटौती की प्रारम्भ की जाए।

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय कार्मिकों का वेतन आहरण एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के माध्यम से होने के साथ–साथ कोषागार अधिकारी ही आहरण वितरण अधिकारी का कार्य भी करते हैं, अतः उक्त योजना में कोषागारों का आहरण वितरण अधिकारी के रूप में सी0आर0ए0 में पंजीकरण किया गया है, परन्तु फार्म एस–1 के सैक्सन–B में डी0डी0ओ0 का आशय वास्तविक विभागीय डी0डी0ओ0 से है एवं इस सैक्सन के कालम–8 एवं 9 में कमशः डी0डी0ओ0 व डी0टी0ओ0 रजिस्ट्रेशन संख्याऐं, जो सी0आर0ए0 द्वारा आबंटित की गयी हैं कोषागारों द्वारा भरी जायेंगी।

(4)– अधिसूचना संख्या 26 /XXVII (7) /2008, दिनांक 30 जनवरी, 2009 के फलस्वरूप व्यवस्था परिवर्तन :– इस शासनादेश के द्वारा राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 या इसके पूर्व राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत थे, उन्हें कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना गया है जबकि दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 या इसके बाद इनकी नई नियुक्ति के दृष्टिगत पूर्व में इनको नई अशंदान पेंशन योजना का सदस्य मानते हुये अशंदान काटा गया था, अतः अब इनसे पूर्व में जमा करायी गई नई पेंशन योजना के अशंदान की धनराशि इनको वापस कर इनको पूर्व आवंटित जी0पी0एफ0 खाते में जमा की जायेगी, जिस हेतु सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) अपने यहां बनाये गए लेजर/पासबुक से धनराशि पूर्ण रूप से सत्यापित करते हुए उसे सम्बन्धित कोषागार से सत्यापित करवाकर निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे। मैनुअल बिलों के द्वारा काटे गये अंशदान का सत्यापन प्रस्तर–5 के अनुसार किया जाएगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड अंतिम भुगतान की पर्ची बनाकर उसे कोषागार को भुगतान हेतु ठीक उसी प्रकार प्रेषित करेंगे जैसे कि जी0पी0एफ0 की धनराशि आहरित करने की प्रक्रिया है उसी प्रकार कर्मचारी की अंशदान से सम्बन्धित धनराशि मय ब्याज के अधिकारी/ कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जबकि नियोक्ता के अंशदान को राजकोष में वापस जमा कर दिया जायेगा। परन्तु निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड इस तरह के प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट तभी लगायेंगें, जब सभी कोषागार इस तरह के प्रकरण अन्तिम रूप से निदेशालय को भेज दें।

(5)– लिगेसी डाटा का सत्यापन :– दिनाँक 1 अक्टूबर, 2005 से अब तक जमा धनराशि का व्यापक मिलान करने के बाद सी0आर0ए0 को प्रेषित किया जायेगा। मिलान कार्य एवं डेटा की शुद्धता के बारे में कार्यालय ज्ञाप संख्या 210/XXVII(7)/2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008 में आहरण–वितरण अधिकारियों व कोषागारों के कर्तव्य स्पष्ट रूप से विभाजित किए गए हैं। इसके बावजूद भी डेटा में कुछ अशुद्धियां रह गयी हैं, जिनकी अब अन्तिम बार फार्म S-1 भरते समय शुद्धता सुनिश्चित कर ली जायेंगी। प्रत्येक अभिदाता के विगत वर्षों की वित्तीय वर्षवार (अर्थात 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11), कोषागारवार, माहवार वार्षिक रिपोर्ट, जैसा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 हेतु तैयार की जाती है, जिसमें बाउचर नम्बर, चालान नम्बर, तिथि एवं ब्याज का स्पष्ट उल्लेख हो, तथा सम्बन्धित लेखा पर्चियां डेटा सेंटर द्वारा शीघ्र तैयार कर निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड एवं कोषागारों को उपलब्ध करायी जायेंगी और कोर ट्रेजरी सिस्टम इण्टरनेट साईट में रखी जायेंगी। लीगेसी डेटा मिलाने के लिए डेटा सेंटर द्वारा कोषागारवार व माहवार सूचना दिये गये संलग्नक के प्रपत्र "घ" में निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेंगी, जिससे डेटा मिलान किया जा सके।

लीगेसी डेटा के सत्यापन के लिए दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के बाद जिन कार्मिकों के नई अंशदायी पेंशन योजना में अंशदान के एरियर की कटौती मैनुअल बिल द्वारा की गयी है, उनका बिलवार (वाउचर, दिनाक व धनराशि) व कार्मिकवार विवरण सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी तैयार करेंगे। प्रत्येक बिल से काटी गयी समेकित पूर्ण पेंशन अंशदान की धनराशि का योग कोषागार से सत्यापित कराया जायेगा और यदि यह धनराशि चालान द्वारा जमा की गयी है, तो चालान की धनराशि, चालान संख्या, दिनांक, CPSN व नाम का सत्यापन सम्बन्धित कोषागार द्वारा किया जायेगा।

3– उक्त शासनादेश के अनुरूप सभी आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा नई पेंशन योजना खाता धारकों के लेजर दिनांक 30 अक्टूबर, 2010 तक अवश्य तैयार किया जाना सुनिश्चित कर लिया जांए, यदि कीन्हीं कारणों से लेजर अभी तक नही बन पायें हों, तो उन्हें कोषागार से प्राप्त हाने वाली वेतन बिल (पे0रौल) की सहायता से अबिलम्ब तैयार करा लिया जाय और इस प्रकार तैयार लेजर से वर्षवार जी0पी0एफ0 की भांति नई पेंशन योजना की पासबुक तैयार करा ली जाय। उक्त पासबुक के आधार पर सी0आर0ए0 को लिगेसी धनराशि प्रेषित की जायेगी।

4– इस सम्बन्ध में समस्त कोषागार सम्बन्धित समस्त आहरण वितरण अधिकारियों की बैठक कर शासनादेश में वर्णित प्रकिया पर विस्तृत चर्चा करें व इसकी प्रतिलिपि प्रत्येक आ0वि0अ0 को उपलब्ध करायें जिससे प्रकिया का सत प्रतिशत कियान्वयन हो सके।

5– उक्तवत निर्गत की जा रही संशोधित व्यवस्था के दृष्टिगत इस विषय में प्रस्तर–1 में उल्लिखित अधिसूचना/कार्यालय ज्ञाप केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाये।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या643 (1)/XXVII (7) (अं0पे0यो0)/ 2010, तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
5– स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6– सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7– सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
8– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
11– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
12– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

शासनादेश संख्या– /XXVII (7) (अं0पे0यो0)/ 2010 का संलग्नक

प्रपत्र "क" (संदर्भ प्रस्तर–1)

SNO	POP-SP City	CRA-FC ID	CRA FC Address
1.	Dehradun	51020	Alankit Assignments Ltd 11, First Floor 6, Cross Road, Dehradun, Uttarakhand 248001 Tel - 01352656312
2.	Dehradun	52041	Karvy Data Management Services Ltd 48/49 Patel Market, Opp Punjab Jewell, Near Gandhi Park, Dehradun Uttarakhand 248001 Tel - 01352714046
1.	Haldwani	51055	Alankit Assignments Ltd 2/594-I, Jhurmut, Polysheet Nainital Road, Haldwani, Uttarakhand - 263126 Tel - 05946- 283200
2.	Haldwani	52054	Karvy Data Management Services Ltd Durga City Center, Near Mbpg College, Naiinital Road, Haldwani, Uttarakhand - 263139 Tel - 05946- 285606

प्रपत्र "ख" (संदर्भ प्रस्तर–2)

S. N.	Subscriber Name	PRAN	DTO Reg. No.	DDO Reg No.	Govt. Contribution	Emp. Contribution	Month	Year	Contribution Type (Regular /Arrears)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
महायोग									

प्रपत्र "ग" (संदर्भ प्रस्तर–2)

क्र0स0	माह व वर्ष	कोषागार का नाम	योजना में कुल कार्मिको की संख्या	सुसंगत लेखाशीर्षक में कुल जमा - धनराशि
1	2	3	4	5
महायोग				

प्रपत्र "घ" (संदर्भ प्रस्तर–5)

कोषागार का नाम	माह व वर्ष	कार्मिक का नाम	पदनाम	डी0डी0 ओ0 कोड	सी0पी0एस0 एन0(16 डिजिट)	सी0आर0ए0 द्वारा आबंटित प्रान	कार्मिक का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	कुल जमा अंशदान	वाउचर स0	वाउचर का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
महायोग											

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

(15)

संख्याः 832 /XXVII(7)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव/सचिव,
चिकित्सा शिक्षा,उच्च शिक्षा,
संस्कृत शिक्षा,तकनीकी शिक्षा,
कृषि एवं विपणन,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः04 मार्च,2011

विषयः–अधिसूचना संख्याः21/XXVII(7)अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर,2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अनुसार चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा,संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कृषि विभाग के शिक्षण संस्थाओं में लागू करने के विषय में व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः21/XXVII(7)अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर,2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है दिनांक 01 अक्टूबर,2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है। शासन के नियंत्रणाधीन तथा इससे पूर्व अन्यत्र(उत्तराखण्ड राज्य सेवा एवं सस्थाओं के साथ–साथ अन्य केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों की सेवा में तथा उनके स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में) कार्यरत थे तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिटस रूल्स 1961 या इसी प्रकार की पुरानी हित पेंशन लाभ योजना से आच्छादित थे, को पुरानी हित पेंशन लाभ योजना का लाभ नहीं अनुमन्य हो पा रहा है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार में उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व कृषि विभाग के शिक्षक/शिक्षणेत्तर संवर्ग में दिनांक 1/10/2005 या उसके बाद नये नियुक्त हुए शिक्षक/शिक्षणेत्तर संवर्ग के कार्मिकों, यू0जी0सी0 के दिशा निर्देश से नियंत्रित अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, संस्कृत विश्वविद्यालयों,चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण विश्वविद्यालय, भारत सरकार के विश्वविद्यालय एवं संस्थानों, सी0एस0आई0आर0, आई0सी0 ए0आर0 आदि तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पुरानी पेंशन योजना के अधीन की गई सेवाओं को निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन पुरानी पेंशन हितलाभ योजना में आच्छादित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) संबंधित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा पूर्व धारित पद विधिवत सृजित हो तथा उस पद पर नियुक्ति विधिवत एवं नियमित रूप से की गयी हो।

(ii) जिन संस्थाओं की पूर्व में की गई सेवा में पेंशन हेतु जोड़ी जानी हो, वह सेवाएं पेंशनेबल हो,।

(iii) यदि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि विश्वविधालय,आई0सी0ए0आर0 के द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों, में पेंशन देने का दायित्व

राज्य सरकार का हो, तो केवल वहां ही पेंशनरी एवं अवकाश वेतन का अंशदान जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी,क्योंकि भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू होने के पूर्व सी0पी0एफ0 का प्रबन्धकीय अंशदान राजकोष में जमा करना होता है। यदि पूर्व सेवा के द्वारा संबंधित शिक्षक/कर्मचारी को सी0पी0एफ0 प्रबन्धकीय अंशदान प्राप्त हो गया हो तो प्रबन्धकीय अंशदान जी0पी0एफ0 में तत्समय लागू ब्याज दर सहित राजकोष में जमा कर दिया जाय।

(iv) जिन संस्थाओं को उनके कर्मचारियों के वेतनादि एवं पेंशन आदि के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता है, यदि उनके अध्यापक/कर्मचारी किसी सहायता प्राप्त कृषि/अन्य महाविद्यालयों की सेवा में चले जाते हैं, तो उनकी पूर्व सेवायें पेंशनादि के प्रयोजना हेतु तभी जोड़ी जायेगी, जब नियोजक शासन के नियमों के अनुसार आगणित कैपिटलाइज्ड वैल्यू आफ पेंशन की पूर्व की राशि राज्य कोष में जमा कर दें चाहे संबंधित शिक्षक/कर्मचारी उस संस्था के पेंशन नियमों से आच्छादित भी रहा हो।

उपरोक्त शर्तो के अधीन एक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की गई सेवा की गणना दूसरी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में की जा सकती है। पेंशन के पात्र वहीं शिक्षक/ /शिक्षणेत्तर कर्मचारी होंगे, जो नियमित रूप में चयनित हों तथा नियमित एंव पूर्ण कालिक पद पर नियुक्त हो। तदर्थ सेवायें पेंशन के लिए नहीं जोड़ी जायेगी। इस प्रयोजन हेतु पदों का स्थायी होना आवश्यक नहीं है।

(v) एक संस्था से दूसरी संस्था में नियुक्ति की स्थिति में अधिकतम व्यवधान उस अवधि तक का मर्षित किया जा सकता है जितनी अवधि का राज्य कर्मचारियों को स्थानान्तरण होने पर कार्यभार ग्रहण काल(Joining time) देय होता है।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या 832(1)/XXVII(7)/2011तददिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–निदेशक, लेखा एंव हकदारी,23 लक्ष्मीरोड़, डालनवाला,देहरादून।
3–निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उत्तराखण्ड।
4–कुल सचिव,कुमायूँ विश्व विद्यालय/तकनीकी विश्वविद्यालय/पंतनगर विश्वविद्यालय/अन्य सरकारी विश्वविद्यालय, राजकीय मेडिकल कालेज,उत्तराखण्ड।
5–मुख्य सचिव, समस्त प्रदेश, भारत।
6–महानिदेशक,भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,कृषि मंत्रालय,नई दिल्ली।
7–अध्यक्ष,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,नई दिल्ली।
8–निदेशक चिकित्सा/निदेशक,उच्च शिक्षा/निदेशक संस्कृत शिक्षा/निदेशक तकनीकी शिक्षा/निदेशक कृषि, उत्तराखण्ड।
9–महानिदेशक, काउन्सिल आफ साईन्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च,नई दिल्ली।
10–वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु–3/कृषि अनु0–2/तकनीकी शिक्षा/उच्च शिक्षा अनुभाग।
11– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव,वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:२७२ / xxvii(7)56 / 2011
देहरादून, दिनांक:०१ दिसम्बर,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले कार्मिकों की असामयिक निधन / निःशक्तता होने पर अनन्तिम आधार पर पारिवारिक पेंशन योजना लागू किया जाना।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या:21 / XXVII (7) / 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा दिनाँक 1 अक्टूबर, 2005 को अथवा इसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आये समस्त कार्मिक, शासन के नियंत्रणाधीन स्वायतशासी संस्थायें और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, हेतु अनिवार्य रूप से अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है।

2– उक्त पेंशन योजना लागू होने के कारण उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स, 1961 में राज्य शासन की अधिसूचना सं0– 19 / XXVII (7)अं0पें0यो0 / 2005, दि0 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिनांक 01, अक्टूबर 2005 को या इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के सेवकों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स, 1961 के प्रविधान लागू नही होंगे।

3– अब केन्द्र सरकार द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं0– 38 / 41 / 06 / पी एण्ड पी0डब्लू(ए) दिनांक 05 मई 2009 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, कि नवीन पेंशन योजना केवल शासकीय सेवको के सामान्य स्थिति में देय पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन का प्रतिस्थापन है। अतः शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता / असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण हेतु दिनांक 01–10–2005 को या इसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों के पेंशन हितलाभ हेतु पृथक से प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

4– उक्त योजना पेंशन हितलाभ हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठित किया गया है,, जिसके द्वारा सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता / असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ देने की अनुशंसा की गयी है। उच्च स्तरीय कार्यदल द्वारा इस संबंध में की गयी अनुशंसा पर निर्णय एवं कियान्वयन में बिलम्ब को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता / असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में पेंशनरी लाभ देने हेतु अनन्तिम आदेश जारी किये गये हैं।

5– उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के उक्त अंतरिम निर्णय के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा भी नई पेंशन योजना से आच्छादित राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु अथवा सेवा अवधि में घटित अपंगता / असमर्थता के कारण राज्य सरकार की सेवा में अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण होने पर अनन्तिम रूप से निम्न व्यवस्थानुसार पेंशनरी सुविधा अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) **सामान्य स्थिति में शारीरिक / मानसिक अक्षमता के कारण शासकीग सेवा से सेवानिवृत्ति पर–** उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स –1961, एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित विकलांग पेंशन एवं सेवानिवृत्ति / मृत्यु उपादान।

(2) **शासकीय सेवक की सामान्य परिस्थिति में मृत्यु होने पर –**
नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965, एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित पारिवारिक पेंशन एवं मृत्य उपादान।

(3) **शासकीय सेवक की शासकीय कार्य सम्पादन की अवधि में मृत्यु होने पर–**
उत्तर प्रदेश असाधारण पेंशन नियमावली –1961 एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित असाधारण पेंशन एवं मृत्य उपादान।

(4) **पुलिस बल के सदस्यों की पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण पेंशन नियमावली –1961 में वर्णित परिस्थितियों में मृत्यु होने पर –**
उत्तर प्रदेश (पुलिस) असाधारण नियमावली –1961, एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित असाधारण पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्य उपादान।

6– शासकीय कर्मचारी के परिवार को उपरोक्त हित–लाभ के साथ यथास्थिति मंहगाई पेंशन/मंहगाई राहत की पात्रता भी अनन्तिम (Interim) रूप से अनुमन्य होगी।

7– उपरोक्त अनंतिम हितलाभों का समायोजन राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के द्वारा गठित कार्यदल की संस्तुति को लागू करने व अंतिम रूप से बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार देय हितलाभों से किया जायेगा एवं इसके फलस्वरूप यदि कोई वसूली की जानी है तो ऐसी वसूली इन नियमो के अन्तर्गत भविष्य में विकलांग पेंशनर/ कार्मिक की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशनर को किये जाने वाले भुगतानों से की जायेगी।

8– उक्त प्रस्तर– 5 के अनुसार किये जाने वाले अंतरिम भुगतान की अवधि में नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के सेवक अथवा उसके परिवार को किसी प्रकार का मासिक–वार्षिकी (Monthly Annutised) का पेंशन के रूप में भुगतान नई पेंशन योजना से नही किया जायेगा।

9– ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार के सेवक अथवा उसके परिवार को उपरोक्त प्रस्तर –5 के अनुसार अंतरिम हितलाभ की पात्रता है, और नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि का भुगतान कर दिया गया है, ऐसी भुगतान की गयी राशि का समायोजन भविष्य में प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियमों के अनुसार कर लिया जायेगा।

10– नई पेंशन योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के पेंशनरों के पेंशन प्रपत्रों का तैयार किया जाना प्रस्तुतीकरण एवं स्वीकृति की प्रकिया पूर्व में शासकीय कार्मिकों हेतु की गयी व्यस्थानुसार ही रहेगी।

11– कोषागार स्तर पर उक्त व्यवस्थानुसार स्वीकृत पेंशन हित लाभों के भुगतान का लेखा पृथक से " नई पेंशन योजना" की कैटेगरी में लेखांकन किया जायेगा, जिससे कि इसका लेखा भविष्य में किसी प्रकार के समायोजन के समय प्राप्त किया जा सके।

12 – पूर्व में कार्यालय ज्ञाप सं0 –210/XXVII (7) / 2008, दि0 3 जुलाई, 2008 के द्वारा नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों हेतु अवकाश नकदीकरण की सुविधा को स्थगित किया गया था। अब यह स्पष्ट किया जाता है, कि अवकाश नकदीकरण की सुविधा सेवानिवृत्तिक हित लाभ के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं की जाती है। अतः इस योजना के अर्न्तगत उक्त श्रेणी के कार्मिकों को अवकाश नकदीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के समान सभी सुविधाऐं यथावत लागू रहेंगी।

उक्त आदेश दिनांक 01 अक्टूबर 2005 या इसके बाद नियुक्त शासकीय सेवको के लिए दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से प्रभावी माने जायेंगे। पूर्व निर्गत नियमावलियों में संशोधन बाद में कर लिये जायेंगे।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 अक्टूबर,2005 तथा तत्कम में समय–समय पर निर्गत शासनादेश केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव, वित्त।

संख्या २७२ (1)/XXVII (7)56 (अं0पे0यो0)/ 2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4— रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्ययालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
5— स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6— सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7— सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
8— उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9— समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
10— निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
11— उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
12— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
13— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त

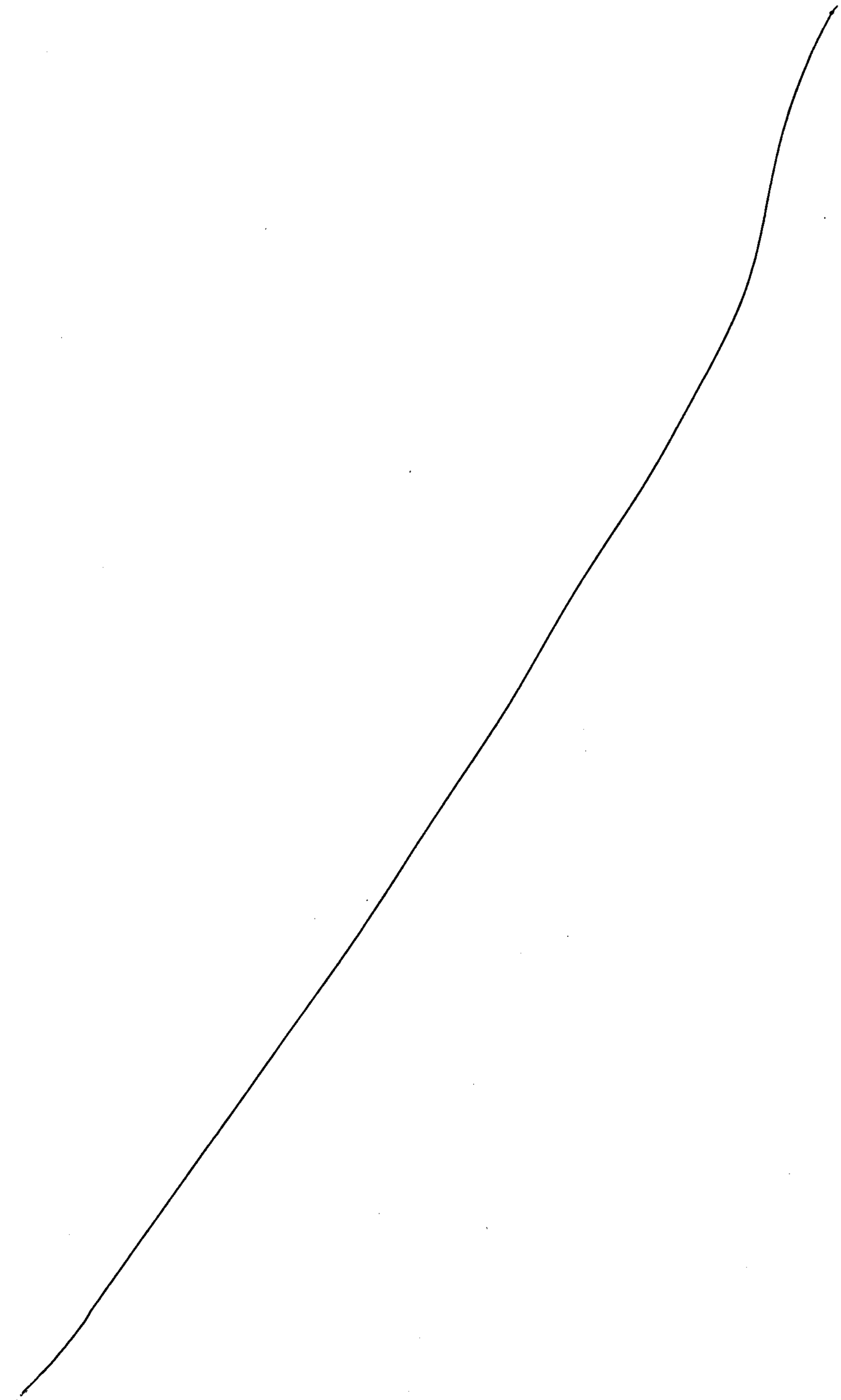

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 52 / xxvii(7)56 / 2012
देहरादून, दिनांकः 22 मार्च,2012

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– दिनांक 01, अक्टूबर 2005 से राज्य में लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्वायत्तशासी संस्थाऐं/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि में कियान्वयन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या – 21/XXVII(7) .अं0पें0यो0/2005, दिनांक 25, अक्टूबर 2005 के द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2005 को अथवा इसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आए समस्त कार्मिक और जो शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, हेतु अनिवार्य रूप से अंशदान पेंशन योजना लागू है।

इस सम्बन्ध में अब तक समय–समय पर अधिसूचना संख्या–21/XXVII (7)अं0पें0यो0 / 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005, कार्यालय ज्ञाप संख्या –132/XXVII (7) / 2006, दिनांक 24 जुलाई, 2006, सं0 – 346/XXVII (7) / 2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007, सं0– 210/XXVII (7) / 2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008, संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 व संख्या–272/XXVII (7)56 / 2011 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 जारी किये जा चुके हैं।

पूर्व में स्वायत्तशासी संस्थाऐं/स्थानीय निकाय/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि जहां अंशदायी पेंशन योजना लागू है, तथा एकीकृत भुगतान प्रणाली के माध्यम से कोषागारों स वेतन आहरित नही होता है से सम्बन्धित कार्मिकों हेतु शासनादेश सं0 – 346/XXVII (7) / 2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007, सं0– 210/XXVII (7) / 2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008, में अंशदान के लेखांकन व धनराशि के निवेश की प्रकिया निर्धारित की गयी थी।

शासनादेश संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु उक्त योजना का सफलतापूर्वक कियान्वयन हो रहा है। अब राजकीय कर्मचारियों की भांति राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाऐं/निकाय अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक जिनका वेतन कोषागारों से एकीकृत भुगतान लेखा प्रणाली से आहरित नही होता है और जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, हेतु योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– राज्य सरकार की ओर से निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड एवं सी0आर0ए0 व एन0पी0एस ट्रष्ट के मध्य अनुबन्ध की शर्तें उक्त संस्थाओं पर भी यथावत लागू होंगी।

2– ऐसी समस्त संस्थाऐं/विभाग राज्य स्तर पर 'एकल सम्पर्क बिन्दु' के लिए योजना से सम्बन्धित समस्त कियाकलापों के संचालन के लिए सी0आर0ए0 से इण्टरफेस के रूप में एक नोडल अधिकारी नामित करेंगें, जो योजना से सम्बन्धित समस्त कियाकलापों हेतु उत्तरदायी होगा।

3– योजना से आच्छादित कार्मिकों का डाटा व धनराशि क्रमशः सी0आर0ए0 व एन0पी0एस ट्रष्ट को प्रेषण से पूर्व उक्त संस्थाओं को पंजीकरण हेतु पी0एफ0आर0डी0ए0 (Pension Fund Regulatory and Development Authority) को सहमति पत्र (Letter of Consent) उपलब्ध कराना होगा जिसकी एक प्रतिलिपि सी0आर0ए0, एन0पी0एस0ट्रष्ट, सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष व राज्य के नोडल आफिस निदेशालय लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून को भी भेजी जायेंगी।

4– ऐसी संस्थाओं को सी0आर0ए0 में पंजीकरण हेतु मास्टर कियेशन फार्म (MCF), सहमति पत्र (Letter of Consent) के साथ सी0आर0ए0 को उपलब्ध करना होगा।

5— उपरोक्त प्रस्तर – 3 व 4 में उल्लेखित सहमति पत्र (Letter of Consent) व मास्टर कियेशन फार्म (MCF) प्रथम बार समस्त संस्थाओं को अनुमोदन हेतु निदेशक, लेखा एवं हकदारी के माध्यम से प्रेषित करने होंगे।

6— समस्त संस्थायें जिनमें उक्त योजना लागू है, एवं जो शासनादेश संख्या– 21/XXVII (7) अंपेंयो/दिनांक 25/10/2005 में उल्लेखित शर्तें पूरी करते हों (शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है) वे इस आशय का प्रमाण पत्र एवं संदर्भित शासनादेश भी निदेशालय लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध करायेंगी।

7— शासनादेश सं0– 174 /XXVII (7)फ0मैने0 / 2009 दिनांक 21 जुलाई, 2009 के द्वारा राज्य में नई पेंशन योजना के सम्बन्ध में निदेशक लेखा एवं हकदारी को नोडल आफिस का कार्य सौपा गया है। अतः योजना की राज्य स्तर पर मोनिटरिग हेतु सी0आर0ए0 में डी0टी0ए0 (Directorate of Treasuries & Accounts), के रूप में निदेशक लेखा एवं हकदारी का पंजीकरण पूर्व में किया गया है।

8— योजना से सम्बन्धित सी0आर0ए0 में पंजीकरण हेतु समस्त संस्थाओं को सी0आर0ए0 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार डी0टी0ओ0 (District Treasuries office) व डी0डी0ओ0 (Drawing Disbursing Officer) के फार्म कमशः N2 व N3 भरकर सी0आर0ए0 में जमा करने होंगे।

9— सी0आर0ए0 में कन्ट्रीब्यूशन फाईल अपलोड एवं ट्रष्टी बैंक में धनराशि जमा करने हेतु दो माडल उपलब्ध हैं। केन्द्रीकृत माडल जिसमें किसी विभाग/संस्था द्वारा राज्य स्तर पर समस्त आंकड़ों व धनराशि को केवल एक कार्यालय द्वारा कमशः सी0आर0ए0 व ट्रष्टी बैंक को हस्तगत किया जायेगा। विकेन्द्रीकृत माडल में राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्यालयों से कन्ट्रीब्यूशन फाईल व धनराशि अपलोड की जायेगी। इस सम्बन्ध में उपरोक्त संस्थाऐं अपनाए गये प्रारूप से मास्टर कियेशन फार्म (MCF) के माध्यम से पंजीकरण के समय सी0आर0ए0 को अवगत कराऐंगी।

10— योजना से सम्बन्धित धनराशि व आकड़ों का प्रेषण इलैक्ट्रांनिक माध्यम से होता है। अतः जिन संस्थाओं /विभागों में राज्य स्तरीय अनेक कार्यालय हैं, में योजना का प्रारूप सी0आर0ए0 को डाटा अपलोड व ट्रष्टी बैंक को धनराशि का प्रेषण हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर केन्द्रीकृत (Centralised) मोड अपनाया जायं, जिससे पूरे विभाग में एकरूपता बनी रहेगी।

11— उपरोक्त पंजीकरण प्रकिया के उपरान्त योजना से आच्छादित कार्मिकों का पंजीकरण सी0आर0ए0 से निर्धारित प्रान (Permanent retirement Account Number) फार्म Annexure S1 के माध्यम से सी0आर0ए0 के फैसिलिटेशन सेंटर, से किया जायेगा।

12— उपरोक्त फार्म एवं प्रारूप सी0आर0ए0 की वेवसाईट www.npscra .nsdl.co. in\downloads\ Forms\ Autonomous bodies पर उपलब्ध है, जिनको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

13— एक बार सी0आर0ए0 में कार्मिकों के पंजीकरण के बाद संस्थाओं को चयनित माडल (Centralized or Decentralized) के अनुरूप सब्सकाइबर कन्ट्रीब्यूशन फाईल सी0आर0ए0 सिस्टम में अपलोड की जानी होगी एवं सम्बन्धित धनराशि ट्रष्टी बैंक में जमा की जायेगी। फाईल अपलोड करने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण पंजीकरण के उपरान्त सी0आर0ए0 द्वारा दिया जायेगा।

14— पंजीकरण प्रकिया के पूर्ण होने के उपरान्त लिगेसी डाटा को यथाशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये।

15— उक्त संस्थाओं में योजना से आच्छादित कार्मिकों का सी0आर0ए0 में खाते खुलवाने, ट्रान्जक्शन चार्ज व आकड़ों का वार्षिक अनुरक्षण आदि के सम्बन्ध में एन0एस0डी0एल0 (सी0आर0ए0) को राज्य सरकार के साथ अनुबन्ध के अनुसार भुगतान सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा ही किया जायेगा।

16— शासनादेश संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 में प्रतिनियुक्ति पर गये राजकीय कार्मिकों के जमा अंशदान का ड्राफ्ट निदेशालय लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गयी थी। परन्तु उपरोक्त व्यवस्था के बाद इन संस्थाओं/

विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों का अंशदान वेतन आहरित करने वाले विभाग/संस्था द्वारा अंशदान सीधे सी0आर0ए0 व ट्रष्टी बैंक में जमा किया जायेगा।

उक्तवत निर्गत की जा रही संशोधित व्यवस्था के दृष्टिगत इस विषय में जारी अधिसूचना कार्यालय ज्ञाप केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाये।

भवदीय,
(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव, वित्त।

संख्या 52 (1)/XXVII (7)56/ 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4— रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
5— स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6— सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7— सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
8— उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9— समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
11— निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
10— निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
11— उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
12— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
13— वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
14— गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

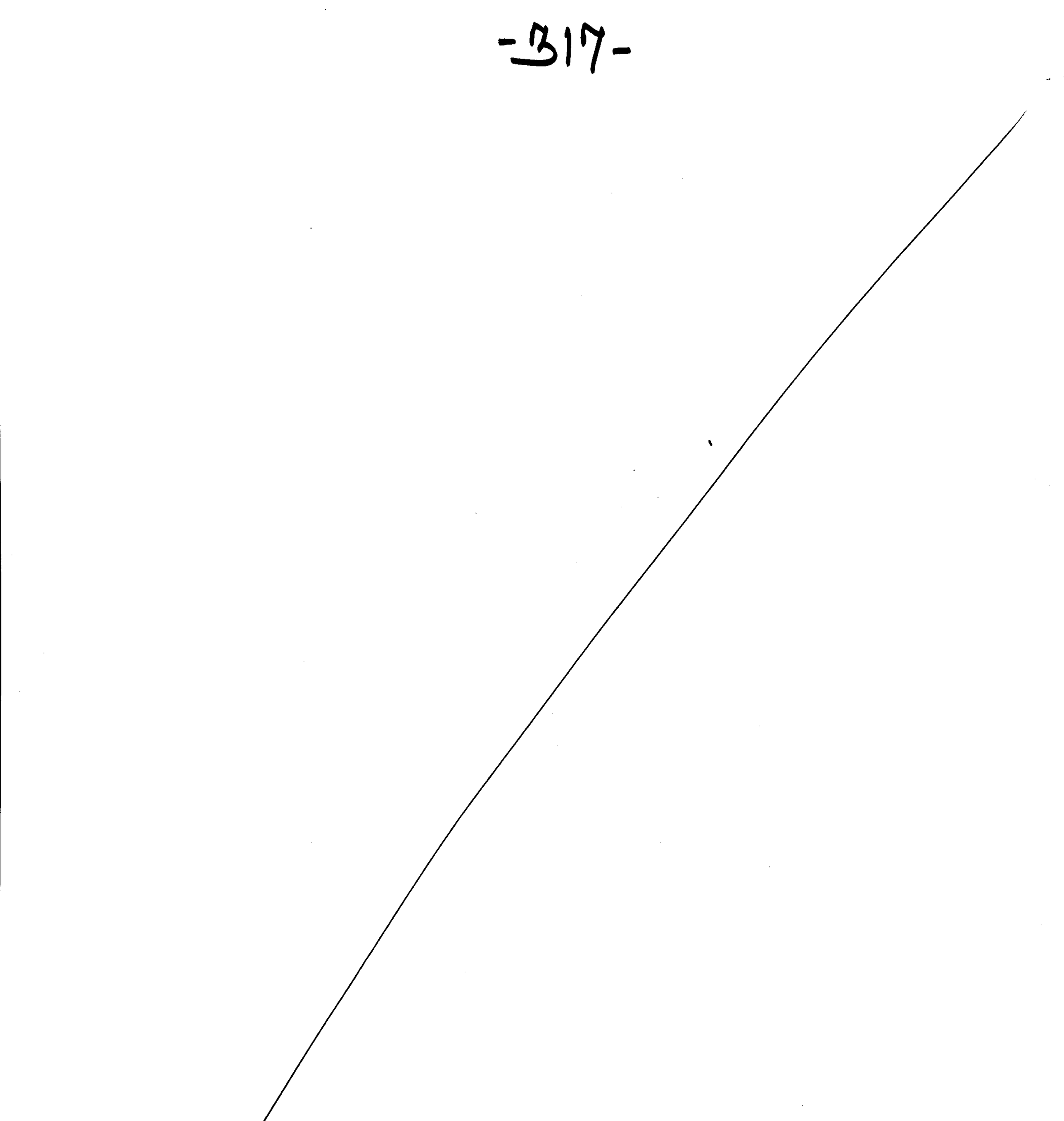

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:251/xxvii(7)56/2012
देहरादून, दिनांक:27 सितम्बर,2012

कार्यालय ज्ञाप

सहा0 ...
निदेशालय लेखा एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01 अक्टूबर,2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के लिए अधिसूचना संख्या:XXVII(7)अ.पे.यो./2008 दिनांक 25 अक्टूबर,2005 द्वारा नई पेंशन योजना (अंशदायी पेंशन योजना) लागू है। उक्त के संबंध में दो महत्वपूर्ण शासनादेश संख्या:210/XXVII(7)अ.पे.यो./2008 दिनांक 03 जुलाई,2008 व संख्या: 643/XXVII(7)अ.पे.यो./2008 दिनांक 11 अगस्त,2010 द्वारा निर्गत किये गये है।

2– इस योजना की प्रगति समीक्षा में पाया गया कि योजना के सफल क्रियान्वयन में कतिपय बिन्दुओं पर शासन के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नवत् बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(1) शासनादेश संख्या: 643/XXVII(7)अ.पे.यो./2008 दिनांक 11 अगस्त 2010 के प्रस्तर–3 में उल्लेख है कि "जिन कार्मिकों को साफ्ट कापी के माध्यम से प्रान हुए है, उन्हें सी0आर0ए0 द्वारा निर्धारित हार्ड कापी (Form S1) को भी भरकर अविलम्ब कोषागारों के माध्यम से सी0आर0ए0 के फैसिलिटेशन सेंटर में जमा कराने होंगे और इसी के आधार पर ही सी0आर0ए0 द्वारा कार्मिकों का सम्पूर्ण डाटा अपडेट कर प्रान किट उपलब्ध करायी जायेंगी।" उक्त का अनुपालन आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिस कारण कार्मिकों को सी0आर0ए0 द्वारा प्रान किट प्राप्त नहीं हो रहीं है। प्रान किट के अभाव में योजना से आच्छादित कार्मिक सी0आर0ए0 द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं (जमा धनराशि का विवरण देखना, निवेश की स्थिति, आदि) का लाभ नहीं ले सकते है। अर्थात सिस्टम में उपलब्ध पारदर्शिता का लाभ अभिदाता को नहीं मिल रहा है। उक्त फार्म यथाशीघ्र भरवाने हेतु पी0एफ0आ0डी0ए0 व सी0आर0ए0 द्वारा शासन स्तर पर बार–बार पत्राचार किया जा रहा है।

उक्त के संबंध में यह व्यवस्था की जाती है, कि जिन कार्मिकों को साफ्ट डाटा के माध्यम से प्रान आंवटित हुए है, अर्थात जिनको प्रान कार्ड प्राप्त नहीं हुए है, के फार्म (Annexure S1) आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा 31 अक्टूबर 2012 तक (आंवटित प्रान व पी0पी0ए0एन0 भरकर) कोषागारों में जमा नहीं करवायें जाते है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का वेतन आहरण कोषागारों द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि संबंधित सभी फार्म जमा नहीं हो जाते । कोषागारों द्वारा प्राप्त फार्म भली भांति परीक्षणोंपरान्त अविलम्ब सी0आर0ए0 एफ0सी0 में जमा करा दिये जाए।

(2) नव नियुक्त कार्मिकों के वेतन से संबंधित प्रपत्र–1 के साथ प्रान फार्म (Annexure S1) भरवाये जायें।

संख्या: २५/XXVII(7)56/2012 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्याध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कोषागार एंव वित्तीय सेवायें, देहरादून।
12. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से कि उक्त शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
14. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
15. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

(3) शासनादेश दिनांक 11 अगस्त,2010 के प्रस्तर–5(3) में समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को योजना से आच्छादित कार्मिकों के वर्षवार लेजर/पासबुक 30 अक्टूबर,2010 तक तैयार करने के निदेश दिये गये थे परन्तु कतिपय आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्मिकों की जमा धनराशि के अन्तिम आहरण (मुत्यु, सेवा निवृत्ति एवं त्याग पत्र आदि) हेतु मूल पासबुक प्रेषित नहीं की जा रही है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि कई आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा पासबुक/लेजर तैयार नहीं किये जा रहे है। अतः समस्त कोषाधिकारियों को यह अधिकार प्रदान किये जाता है कि वह आहरण वितरण अधिकारियों से कार्मिकों की पासबुक व लेजर कोषागार में मंगवाकर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि अंशदान की धनराशि का सही लेखाकंन हो रहा है।

(4) यह भी संज्ञान में आया है कि प्रान फार्म (Annexure S1) भरने के दौरान अभिदाता द्वारा व्यक्तिगत विवरण में हुई त्रुटियां के संशोधन की अपेक्षा की जा रही है। उक्त हेतु सी0आर0ए0 द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्म (Annexure S2) में अभिदाता को आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से कोषागारों में आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसके द्वारा व्यक्तिगत विवरण, नामांकन में परिवर्तन, re-issue of i-PIN, re-issue of PRAN Card हेतु आवेदन किया जा सकता है।

अभिदाताओं को सी0आर0ए0 द्वारा उपलब्ध कराये गये i-PIN (login id & Password) को बार–बार पुनः आंवटन (re-issue) करवाया जा रहा है, जिस पर सी0आर0ए0 द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। वर्तमान में यह शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अब जिन कार्मिकों को अपने i–PIN पुनःआंवटन की आवश्यकता होगी, उनको फार्म (Annexure S2) के साथ उचित मूल्य (सी0आर0ए0 द्वारा निर्धारित, वर्तमान में ₹50.00) का चालान प्राप्ति लेखाशीर्षक 00710011701 में जमा कर संलग्न, कोषागार में प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार जमा धनराशि का लेखा (विवरण) प्रत्येक माह कोषागारों द्वारा निदेशक लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त कोषागार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों को शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए सूचित करना सुनिश्चित करें, ताकि उपरोक्त प्रकिया का पूर्णतः अनुपालन हों सकें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

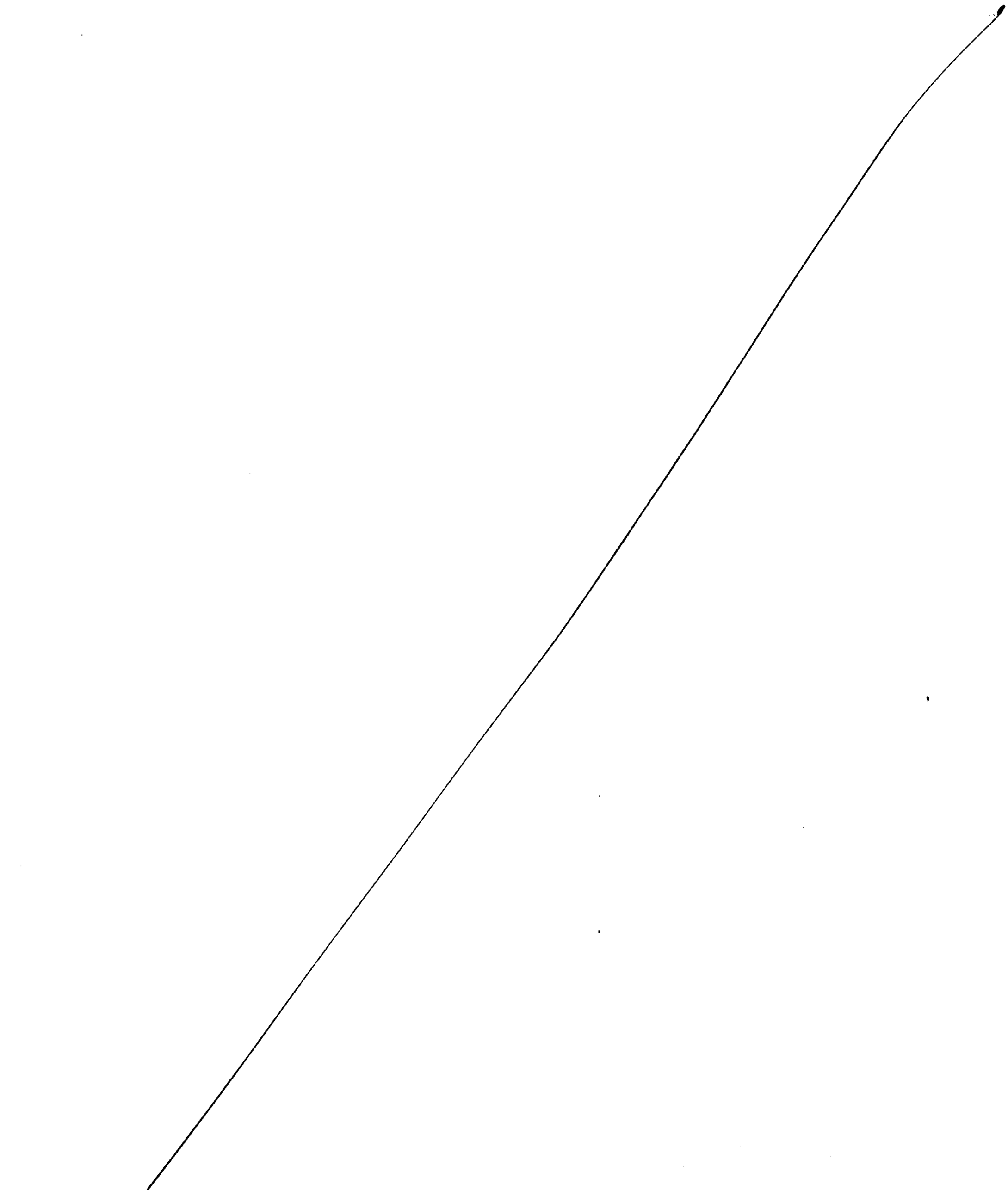

(218)

संख्या 512/XXVII(7)61(8)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2— समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—07 देहरादून:दिनांक: 15 फरवरी, 2013

विषय:—अधिसूचना संख्या 21/XXVII(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 21/XXVII(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार के अधीन एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त—पोषित शिक्षण संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें उक्त तिथि के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनरों की भांति पेंशन योजना लागू थी, में नवनियुक्त कर्मचारियों को नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है।

2— शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण लाये गये हैं, जिनमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त नये कार्मिक पूर्व में केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके द्वारा वित्त—पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवारत् थे। इन मामलों में यह जिज्ञासायें की जा रही हैं, कि पूर्व सेवा में नियुक्ति की तिथि तथा राज्य सरकार में नियुक्ति की तिथि के आधार पर भिन्न—भिन्न परिस्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को किस योजना से आच्छादित माना जायेगा।

3— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित प्रकरणों का निस्तारण निम्नलिखित दिशा—निर्देशों के अनुसार किया जाय:—

(1) केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाएं, सेवा निवृत्तिक लाभों हेतु उत्तराखण्ड सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारस्परिक समझौता है के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार /संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, तथा उत्तराखण्ड सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होते है तो वह दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के पूर्व प्रभावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगें। केन्द्र सरकार की अनुदानित संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें केन्द्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के समान पेंशन योजना लागू रही हो, के कार्मिक जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होते है, भी इस व्यवस्था से आच्छादित होगें।

(2) यदि केन्द्र सरकार/उपरिसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कर्मचारी पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण(पी0एफ0आर0डी0ए0) की नई पेंशन संरचना के अधीन कार्यरत था, तथा उत्तराखण्ड सरकार के अधीन दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके उपरान्त कार्यभार ग्रहण करता है, तो वह नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जोयगा।

(3) यदि केन्द्र सरकार/पूर्वसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कार्मिक नई पेंशन योजना से आच्छादित था तथा उत्तराखण्ड सरकार के अधीन नई पेंशन योजना के लागू होने की तिथि 01 अक्टूबर, 2005 के पूर्व कार्यभार ग्रहण करता है तो उसे दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के पूर्व उत्तराखण्ड सरकार में लागू पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा तथा उसके पास यह विकल्प होगा कि वह पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन लें।

(4) अन्य राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत रहे कर्मचारी चाहें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित रहे हों अथवा नई पेंशन योजना से, यदि उत्तराखण्ड सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त होते हैं तो उन्हें उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- ५१२ (1)/ xxvii(7)61(8)/2011 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
3. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
4. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)

अपर सचिव।

संख्या 48/XXVii(7) (अं0पें0यो0)/2013

प्रेषक

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1– निदेशक, लेखा एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं
उत्तराखण्ड देहरादून।
3– समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0सा0नि0) अनुभाग –7 देहरादूनः दिनांक : 22: मार्च /2013

विषय :– अधिसूचना संख्या– 21/ XXVii(7) (अं0पें0यो0)/ 2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा नई पेंशन योजना (अंशदायी पेंशन योजना) के सम्बन्ध में समय– समय पर निर्गत शासनादेशों के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01 अक्टूबर 2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारियों के लिए अधिसूचना संख्या– 21/ XXVii(7) (अं0पें0यो0)/2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा नई पेंशन योजना (अंशदायी पेंशन योजना) लागू है। इस सम्बन्ध समय– समय पर निर्गत शासनादेशों /कार्यालय ज्ञाप में कतिपय बिन्दुओं पर विभिन्न विभागों, संगठनों द्वारा की गयी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए नई पेंशन योजना के कियान्वयन की प्रकिया के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्नवत स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– अधिसूचना संख्या– 26/XXVII (7) /2008 दिनांक 30/01/2009 के द्वारा ऐसे कार्मिक जो 1 अक्टूबर 2005 को या इससे पूर्व राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत थे, उन्हें कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना गया है। जबकि 01 अक्टूबर 2005 के बाद नई नियुक्ति के दृष्टिगत पूर्व में इनको नई पेंशन योजना का सदस्य मानते हुए अंशदान काटा गया है। शासनादेश संख्या– 643/XXVII (7) /2010 दिनांक 11/08/2010 में व्यवस्था दी गयी है, कि ऐसे कार्मिकों के नई पेंशन योजना में जमां अंशदान (कार्मिक का अंश) की धनराशि मय ब्याज के सम्बन्धित कार्मिक के सामान्य भविष्य निधि में जमां की जायेगी और नियोक्ता /सरकार का अंश राजकोष में वापस जमां कर दिया जायेगा। परन्तु ऐसे अधिकांश प्रकरणों में अंशदान की आंशिक धनराशि सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक को प्रेषित की जा चुकी है। ऐसे कार्मिकों की सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार के पास न होने के कारण निस्तारण में कठिनाई हो रही है।

3– चूंकि अब उपरोक्त प्रकार के कार्मिक नई पेंशन योजना से आच्छादित नही हैं। अतः इनके अंशदान की धनराशि जो सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक को प्रेषित की जा चुकी है, को पी0एफ0आर0डी0ए0 के परिपत्र सं0– PFRDA/2012/2/PDEX/2 22 जनवरी 2013 के कम में वापस मंगाया जायेगा।

4– ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु यह व्यवस्था की जाती है, कि शासनादेश संख्या– 643/XXVII (7) /2010 दिनांक 11/08/2010 के अनुसार पास बुक / लेजर में डी0डी0ओ0 एवं कोषागार द्वारा सत्यापन कर कोषागार के माध्यम से निदेशक लेखा एवं हकदारी को प्रेषित किये जायेगे। निदेशक लेखा एवं हकदारी द्वारा केवल कार्मिक के 10 प्रतिशत अंशदान में सामान्य भविष्य निधि के बराबर ब्याज आंगणित करते हुए लेखापर्ची तैयार कर सम्बन्धित कोषागार/आ0वि0अधि0 को भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी। कोषागार द्वारा सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से बिल तैयार करवाकर धनराशि लेखाशीर्षक 83420011703 से आहरित करते हुए सम्बन्धित कार्मिक के जी0पी0एफ0 खाते में ठीक उसी प्रकार जमां किया जायेगा जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों का जी0पी0एफ0 की धनराशि चतुर्थ श्रेणी से भिन्न जी0 पी0 एफ0 खाते में जमां किया जाता है।

5— निदेशालय लेखा एवं हकदारी द्वारा बाद में ऐसे कार्मिकों की धनराशि जो सी0आर0ए0 को प्रेषित की गयी है, को सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक से प्राप्त कर शत प्रतिशत राजकोष में सुसंगत लेखाशीर्षक 0071001170300 में जमां करा दिया जायेगा। सी0आर0ए0 से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक लेखा एवं हकदारी द्वारा आंगणन कर यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि लेखाशीर्षक 83420011703 में कितना राज्यांश जमां शेष रह गया है, जिसे राजकोष में जमां नही किया गया है। और अन्त में नियोक्ता का अंश जो लेखाशीर्षक 8342 में है को आहरित कर उपरोक्त लेखाशीर्षक 0071 में जमां किया जायेगा।

6— शासनादेश संख्या—346/XXVII (7) /2007 दिनांक 21 नवम्बर 2007 में कोई कार्मिक जो इस योजना का सदस्य नही है, त्रुटिवश योजना में अंशदान की कटौती हो जाती है, तब सम्बन्धित कोषागार अभिलेख से पुष्टि के उपरान्त घटाईयें वापसियों की प्रकिया के अधीन कर्मचारी का अंश रिफण्ड और नियोक्ता का अंश वापस राजकोष में जमां करने की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु विभिन्न कोषागारों द्वारा पृच्छा की जा रही है, कि ऐसे कार्मिकों के जमां अंशदान की धनराशि जो सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक को प्रेषित की गयी है, की वापसी की क्या प्रकिया होगी।

7— प्रस्तर —6 में उल्लिखित प्रकरणों में से जिनमें धनराशि सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक को स्थानान्तरित की गयी है, का निस्तारण उपरोक्त प्रस्तर —4 व 5 के अनुसार ही किया जायेगा परन्तु राजकोष से कोई ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा। शेष प्रकरणों में शासनादेश संख्या—346/XXVII (7) /2007 दिनांक 21 नवम्बर 2007 के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्गत की जा रही संशोधित व्यवस्था के दृष्टिगत इस विषय में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/ कार्यालय ज्ञाप उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाये।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव वित्त

संख्या 468 /XXVii(7) (अं0पें0यो0)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4— रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
5— स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6— सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7— सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
8— उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9—निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
10—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
11—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
12—गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त